

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-19032022-234311
SG-DL-E-19032022-234311

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 17, 2022/ फाल्गुन 26, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 551
No. 183]	DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 2022/PHALGUNA 26, 1943	[N. C. T. D. No. 551

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

अधिसूचना

दिल्ली, 18 फरवरी, 2022

फा. सं. जीजीएसआईपीयू/कॉर्ड/अध्यादेश 36-नवीन/50वां, 55वां, 59वां एवं 76वां बीओएम/2021:75-

गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (1998 के अधिनियम-9) की धारा 27 (1) (xi) के प्रावधानों के अनुपालन में, गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रबंधन मंडल ने दिनांक 27/09/2012, 24/09/2013, 07/11/2014 एवं 27/12/2021 को आयोजित अपनी 50वीं, 55वीं, 59वीं एवं 76वीं बैठकों में क्रमशः कार्यसूची मद सं. 50.03, 55.13, 59.27 एवं 76.12 के संकल्प द्वारा 'पेंशन-व-सामान्य भविष्य निधि योजना' शीर्षक से निम्न नये अध्यादेश-36 को अनुमोदित कर दिया है। संविधि (परिनियम) 31 एवं 32 में आंशिक संशोधनों, जो कि पेंशन-व-सामान्य भविष्य निधि योजना उपलब्ध कराता है तथा जिन्हें राजपत्र अधिसूचना सं. एफ सं. आईपीयू/जे आर (सी)/2015/2-16/पीइआरएस 4767 दिनांकित 21वीं अक्टूबर, 2021 के द्वारा अधिसूचित किया गया, के अनुसरण में उक्त अधिनियम-36 शीर्षक पेंशन-व-सामान्य भविष्य निधि योजना को निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :-

1.0 संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ:

- 1.1 गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (गु. गो. सिं. इ. वि. वि.) कर्मचारी पेंशन एवं सामान्य भविष्य निधि योजना अपने उन कर्मियों को पेंशन एवं भविष्य निधि के लाभ प्रदान करने के लिए तैयार की गयी है जो 31/12/2003 को अथवा उससे पहले नियमित सेवा में थे और गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के अधिनियम 1998 की धारा 33 के अनुसार सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं कर चुके थे। उन्हें पेंशन एवं सा.भ. निधि योजना में परिवर्तित होने के लिए इस अध्यादेश द्वारा तीन मास की निर्धारित समय-सीमा में ही अपना विकल्प देना होगा। यदि कोई कर्मि तीन मास के

अन्दर अपना विकल्प नहीं देता तो यह मान लिया जाएगा कि उसकी पेंशन योजना में कोई रुचि नहीं है, और वह पहले से ही विद्यमान नि. (अंशदायी भविष्य निधि योजना) के अन्तर्गत संचालित रहेगा। विकल्प देने की स्थिति में नि. के खाते में जमा उसकी राशि को निम्नानुसार वितरित कर दिया जाएगा।

(I) कर्मियों के उनके नि. लेखों में उपार्जित ब्याज सहित, अंशदान को उनकी पेंशन देयता का निर्वह करने के लिए पेंशन निधि में अन्तरित कर दिया जायेगा। साथ ही, कर्मियों की पेंशन देयता को पूरा करने के लिए बीमाकिक गणना के आधार पर यथा आवश्यक ऐसा ही अंशदान गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय भी करेगा।

(II) कर्मियों का अपना अंशदान व उस पर उपार्जित ब्याज को एक नये सामान्य भविष्य निधि लेखों में अन्तरित होना है।

1.2 गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का प्रबन्धक मंडल (प्र.मं.) इन निधियों से निवेश की व्यवस्था करने के लिए एक पृथक न्यास (ट्रस्ट) की स्थापना करेगा। इन निधियों से निवेश करने का कार्य, कुलपति, गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की स्वीकृति से नियुक्त किये जाने वाले निधि प्रबन्धक(नं०) को सौंपा जाएगा।

1.3 इस अध्यादेश में प्रावधानित अन्यथा व्यावृत्ति (अपवाद), प्रबन्धन मण्डल द्वारा दी गयी स्वीकृति-तिथि से लागू होंगे।

2.0 परिभाषा(एँ) :

जब तक विषय अथवा संदर्भ में कुछ प्रतिकूल न हो, इन नियमों के निबन्धनों का अभिप्राय निम्नानुसार ही होगा :—

2.1 विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय से अभिप्राय है गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (गु.गो.सिं.इ.वि.वि.)।

2.2 अर्हक सेवा

इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार, विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मियों की सेवा, मूल रूप से/स्थानापन्न/अस्थायी हैसियत से उसकी प्रथम नियुक्ति का पदभार संभाल लेने की तिथि से, प्रारम्भ होगी। परन्तु, कार्यकारी अथवा अस्थायी सेवा उसी अथवा किसी अन्य पद पर निर्बाधित मूल नियुक्ति द्वारा अनुसरित होनी चाहिए।

2.3 परिलब्धियाँ

परिलब्धियों की अभिव्यक्ति में, भारत सरकार की मूल नियमावली के नियम 9(21)(क)(i) के अन्तर्गत पारिभाषितानुसार वह वेतन सन्निहित है जो एक कर्मियों अपने सेवा निवृत्ति से तुरन्त पूर्व अथवा अपनी मृत्यु के समय प्राप्त कर रहा होता है। इसमें, पेंशन के प्रयोजन से ग्रेड वेतन सहित मूल वेतन सम्मिलित होता है तथा डीसी आर जी प्रयोजन के लिए मंहगाई भत्ते सहित मूल वेतन तथा ग्रेड वेतन सम्मिलित होते हैं। चिकित्सा अधिकारियों के मामले में, इसमें निजी प्रेक्टिस के बदले में प्रेक्टिस बंदी भत्ता भी सम्मिलित होता है। यदि, सेवावधि के अन्तिम दस मास में परिलब्धियों में, अर्थदण्ड के अतिरिक्त कोई अन्य कटौती की जाती है तो उपदान (ग्रेज्युटी), 'परिलब्धियों के स्थान पर गत दस मास की 'औसत परिलब्धियों' के आधार पर परिकलित होगा।

2.4 औसत परिलब्धियाँ

औसत परिलब्धियाँ किसी भी कर्मियों द्वारा सेवा-अवधि के अन्तिम दस मास के अन्दर प्राप्त की गयी परिलब्धियों के आधार पर निर्धारित की जाएँगी। पेंशन पिछले 10 मास या पिछली परिलब्धियों के दौरान प्राप्त औसत परिलब्धियों पर मंजूर हो जाएँगी, जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अधिक लाभदायक हो।

2.5 प्रबन्धन मंडल

प्रबन्धन मंडल से अभिप्राय गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्र. मं. (बीओएम) से है।

2.6 सक्षम प्राधिकारी

(क) गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का प्रबन्धन मंडल ही पेंशन एवं सामान्य भविष्य निधि नियमों को अंगीकार करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

(ख) गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कर्मियों के लिए पेंशन स्वीकृत करने के सक्षम प्राधिकारी कुलसचिव ही होंगे और उनकी अनुपस्थिति में कुलपति के द्वारा अधिसूचित कोई अन्य अधिकारी होंगे।

(ग) पेंशन एवं सामान्य भविष्य निधि योजना में कोई भी संशोधन प्रबन्धन मंडल के अनुमोदन से ही होगा।

2.7 वित्त नियंत्रक

वित्त नियंत्रक (वित्त नियं.) से अभिप्राय गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक से है।

2.8 पेंशन एवं सामान्य भविष्य निधि

गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के पात्र कर्मियों की पेंशन देनदारी के निपटान के लिए तथा कर्मियों के सा.भ. निधि अंशदान के बेहतर प्रबन्धन हेतु एक पृथक निधि की स्थापना की जायेगी। सामान्य भविष्य निधि लेखों पर ब्याज दर, सरकारी कर्मियों हेतु सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज के समरूप होगी।

2.9 कर्मचारी

इस अध्यादेश में जहाँ कहीं भी कर्मी (कर्मचारी) शब्द का उल्लेख हुआ है वहाँ शिक्षण और गैर-शिक्षण, दोनों ही ऐसे कर्मी वर्ग, इसमें सम्मिलित हैं, जो 01/01/2004 से पूर्व नियमित आधार पर नियुक्त किए गए थे तथा अधिवर्षता आयु प्राप्त नहीं कर पाये थे। इसमें ऐसे कर्मी भी सम्मिलित होंगे जिन्हें 01/01/2004 से पूर्व गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के नियमित संख्याबल में सम्मिलित कर लिया गया था और वे अपनी विगत सेवा में पेंशनी पद धारक थे तथा उन्होंने इस अध्यादेश के प्रावधानों द्वारा संचालित होने का विकल्प दिया था। के.सि. से. (पेंशन) नियम-14 में यथानिहित प्रावधानों तथा भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार उल्लेखित नियमों का अनुसरण किया जाएगा।

2.10 परिवार पेंशन एवं मृत्यु उपदान

(I) वह अवधि जिसके लिए परिवार पेंशन दी जानी है वह निम्नानुसार (के.सि.से. (पेंशन) नियम 1972 के नियम 54 (6) में निर्धारितानुसार) ही होगी :-

- (क) विधवा अथवा विधुर के मामले में, मृत्यु अथवा पुनर्विवाह की तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो,
- (ख) पुत्र के मामले में, पच्चीस वर्ष की आयु तक, तथा
- (ग) अविवाहिता पुत्री के मामले में, पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्ति तक अथवा विवाह होने के समय तक, इनमें से जो भी पहले हो :

(II) उपदान के प्रयोजन से परिवार का अर्थ है कर्मियों के परिवार, जो कि के०सि० से० (पेंशन) नियम 1972 के नियम 50 में निर्धारितानुसार है। इसमें निम्न सम्मिलित होंगे,

- (क) विश्वविद्यालय की महिला कर्मियों के मामले में न्यायिक रूप से पृथक पति सहित पति
- (ख) विश्वविद्यालय के पुरुष कर्मियों के मामले में न्यायिक रूप से पृथक पत्नी अथवा पत्नियों सहित पत्नी अथवा पत्नियाँ
- (ग) सौतेले पुत्र एवं दत्तक पुत्र सहित पुत्र
- (घ) सौतेली पुत्रियाँ एवं दत्तक पुत्रियों सहित अविवाहिता पुत्रियाँ
- (ङ) सौतेली पुत्रियाँ एवं दत्तक पुत्रियों सहित विधवा पुत्रियाँ
- (च) ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जिनकी वैयक्तिक विधि (पर्सनल लॉ) दत्तक-ग्रहण की अनुमति देती है, दत्तक अभिभावक सहित माता-पिता
- (छ) सौतेले भाइयों सहित, भाई जो अठारह वर्ष से कम हों
- (ज) सौतेली बहनों सहित अविवाहिता बहनें एवं बिधवा बहनें
- (झ) अविवाहिता पुत्रियाँ एवं;
- (ञ) पूर्व मृत पुत्र के बच्चे/बच्चियाँ

परन्तु, किसी कर्मी का पुत्र अथवा पुत्री मन्द बुद्धिता सहित यदि किसी मानसिक विकार अथवा अशक्तता से पीड़ित है अथवा शारीरिक रूप से अपंग अथवा अशक्त है तथा पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी जीवन यापन हेतु धनोपार्जन नहीं कर सकता तो पात्रता की कुछ शर्तों के साथ ऐसे पुत्र या पुत्री को जीवन पर्यन्त पेंशन प्राप्त होती रहेगी।

2.11 कुलसचिव

कुलसचिव से अभिप्राय है गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलसचिव।

2.12 अस्थायी सेवा

इन नियमों में प्रयुक्त अस्थायी सेवा का अभिप्राय संस्वीकृत पद पर नियमित नियुक्ति के बाद परिवीक्षा आधार पर बिताया गया समय है।

2.13 कुलपति : कुलपति से अभिप्राय है गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति।

3.0 विगत सेवा की गणना

- 3.1 विगत सेवा की गणना का लाभ ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू होगा जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय के पेंशनी प्रतिष्ठान में कार्य कर चुके होंगे। शर्त है कि सभी पेंशनी लाभ, उन पर उपार्जित ब्याज सहित का अंतरण/जमा, मूल नियोक्ता की पूर्व सहमति (उचित माध्यम, से) इस विश्वविद्यालय में समाविष्ट/चयनित कर लिया गया हो। विगत सेवा की गणना का निर्णय केवल सक्षम प्राधिकारी अर्थात् जो कि प्रबन्धन मंडल है, के अनुमोदन से लिया जाएगा।
- 3.2 शर्त यह भी है कि पिछली सेवाओं की पेंशन देयता, के०सि० सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम 1981 एवं उनके आशोधन के साथ पठित के०सि० सेवा (पेंशन) नियम 1972 के परिशिष्ट-1 में दी गयी संराशीकरण तालिका के संदर्भ में परिकल्पित एकमुश्त भुगतान के रूप में, पिछले नियोक्ता द्वारा वहन की जायेगी। तथापि, पिछला नियोक्ता यदि पेंशन देयता के वहन करने में अनिच्छुक अथवा असमर्थ है तो गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रति किसी बंधन के बिना, अपने पिछले नियोक्ता से सेवा रिकार्ड के सभी दस्तावेज साक्ष्य के साथ, उक्त देयता का वहन कर्मचारी द्वारा किया जा सकता है।
- 3.3 यदि, कोई कर्मि पिछली सेवा का लाभ उठाने का इच्छुक है तो उसे इस अध्यादेश की अधिसूचना की तिथि से तीन माह के भीतर अपना विकल्प देना होगा। तथापि, यदि कोई कर्मि अवकाश/शिक्षा-अवकाश/प्रतिनियुक्ति पर/विदेश सेवा में/निलंबनाधीन है तो उसे अपना कार्यभार संभालने की तिथि के बाद से तीन मास के भीतर अपना विकल्प देने की छूट प्रदान की जा सकती है।
- 4.0 नियम 3 की शर्तों में दिये गये विकल्प उन कर्मियों के संबंध में लागू नहीं होंगे जो विश्वविद्यालय द्वारा समेकित वेतन पर अथवा विशेष शर्तों पर नियुक्त किये गये होंगे।
- 5.0 ऐसे कर्मि, जो इस योजना के अधिसूचित होने से पहले ही सेवा से निवृत्त हो गये हैं अथवा मृत्यु को प्राप्त हो गये हैं अथवा उनके पात्रताधारी विवाहिती (पति/पत्नी) जैसा भी मामला हो, को निम्न में से कोई भी विकल्प चयन करने का अधिकार होगा :

(क) अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा संचालित होना जारी रखना, या

(ख) इन नियमों में निहित पेंशन योजना द्वारा संचालित होने का चयन करना

(ग) एक बार प्रयुक्त विकल्प अन्तिम होगा और कर्मचारी को विकल्प में पुनः बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे कर्मियों अथवा मृत कर्मि के विवाहिती, जिन्होंने नियम 5 के खण्ड(ख) में तथा प्रदत्तानुसार विकल्प दिया है, को अंश. भवि. निधि योजना के अन्तर्गत प्राप्त सेवा निवृत्ति लाभ प्राप्त करने की स्थिति में, जमा करने की तिथि को उनके द्वारा प्राप्त अन्तिम भुगतान के महीने से उस पर ब्याज सहित अंश. भविष्य निधि के कुल विश्वविद्यालय अंशदान को उनके द्वारा प्राप्त ब्याज सहित जमा कराना होगा। ऐसे मामलों में, जहाँ अंश. भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति लाभ कर्मियों/पात्र-विवाहिती ने प्राप्त नहीं किये हैं तो उनके, विश्वविद्यालय के कुल अंश उस पर उपार्जित ब्याज सहित पेंशन निधि में अन्तरित कर दिये जाएंगे। प्रभारित किये जाने वाला ब्याज, कर्मियों को उनकी भविष्य निधि के संचयन पर मिलने वाले ब्याज के समरूप होगा।

- 5.1 यदि कोई सेवा निवृत्त व्यक्ति अथवा किसी मृतक(i) कर्मि का विवाहिती तीन मास की निर्धारित अवधि के भीतर विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है तो यह मान लिया जाएगा कि कर्मि ने विद्यमान अंश.भ.निधि योजना के द्वारा संचालित होने का चयन किया है। समय-सीमा में किसी भी प्रकार की छूट सम्बन्धी प्रार्थना पर, भविष्य में विचार नहीं किया जायेगा।

6.0 उपदान

- 6.1 यदि कोई कर्मि अर्हक सेवा के पाँच अथवा अधिक वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् सेवा निवृत्त होता है तो वह, अर्हक सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की उसकी परिलब्धियों की एक चौथाई के बराबर सेवा-निवृत्ति उपदान प्राप्त करने का पात्र है जो परिलब्धियों की अधिकतम 16-1/2 गुणा ही होगी।

- 6.2 यदि कोई कर्मि सेवावधि के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके परिवार को मृत्यु-उपदान निम्नानुसार दिया जाएगा:-

(क)	एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का दो गुना
(ख)	एक वर्ष या अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम	परिलब्धियों का छः गुना
(ग)	5 वर्ष या अधिक लेकिन 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों का बारह गुना
(घ)	20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हक सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों का आधा भाग, परिलब्धियों के

अधिकतम 33 गुना की शर्त के साथ।

शर्त यह भी है कि सेवा निवृत्ति उपदान अथवा मृत्यु उपदान की राशि जो इस नियम के अन्तर्गत दी जाने वाली है किसी भी स्थिति में रुपये 3.5 लाख से अधिक नहीं होगी (01/01/06 से रुपये 10 लाख तक बढ़ायी गयी)।

7.0 निधियों का संघटन एवं प्रबन्धन

- 7.1 पेंशन एवं सामा.भवि. निधि(यों) का प्रबन्धन, प्रबन्धन मंडल (प्रब. मं.) में निहित होगा जो गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की पेंशन देयताओं के प्रबन्ध तथा सामा. भवि. निधि से निवेश के अधिक कुशल प्रबन्धन हेतु पृथक न्यास(ों) (ट्रस्ट) की स्थापना करेगा।
- 7.2 यह/ये न्यास पेंशन निधि के प्रबन्ध के लिए निधि प्रबन्धक(ों) की नियुक्ति करेगा/करेंगे तथा सामा.भवि. निधि से निवेशों के अधिक कुशल प्रबन्धन हेतु एक पृथक निधि प्रबन्धक की नियुक्ति करेगा/करेंगे।
- 7.3 यह विश्वविद्यालय निधि के ऐसे अंश, जो वह समीचीन समझे, का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों/प्रमाणपत्रों, परकाम्य सरकारी प्रत्याभूत बंधपत्र एवं केन्द्रीय सरकार की ऐसी जमा योजनाओं, जो इस सम्बन्ध में समय-समय पर अधिसूचित की जाती हैं, में करेगा तथा उससे प्राप्त ब्याज एवं लाभ को सम्बन्धित निधियों में जमा करायेगा। सभी निवेश एवं प्रतिभूतियाँ इस प्रयोजन के लिए स्थापित किये जाने वाले न्यास(ों) के नाम पर होगी।

8.0 सामान्य भविष्य निधि के लिए नाम-निर्देशन

- 8.1 भविष्य निधि में अभिदान करने के हकदार गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मि निधि से जुड़ने के समय एक निर्धारित प्रपत्र पर एक घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे कि उन्होंने अध्यादेश का पठन कर लिया है और इसका पालन करने के लिए सहमत हैं। उनके, एक या अधिक व्यक्तियों, के नाम वाला एक नाम-निर्देशन प्रपत्र विश्वविद्यालय कार्यालय में पंजीकरण हेतु जमा करेंगे, जिन्हें, वे उस राशि का, जो इससे पूर्व देय हो चुकी है अथवा देय हो रही है परन्तु उसका भुगतान नहीं किया गया है तथा उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसकी निधि में उसके पक्ष में जमा होने वाली है, भुगतान करने के इच्छुक हैं।

शर्त है कि यदि नाम-निर्देशन करने के समय अंशदाता का परिवार है तो परिवार के सदस्य(ों) के अतिरिक्त अन्य किसी/किन्हीं भी व्यक्ति(यों) के पक्ष में नाम-निर्देशन नहीं हो सकेगा।

साथ ही यह भी शर्त है कि इस निधि में सम्मिलित होने से पूर्व किसी अन्य भविष्य निधि, जिसमें वह अपना अभिदान कर रहा था, के संबंध में किया गया नाम-निर्देशन, यदि किसी अन्य निधि में उसके नाम पर जमा राशि इस निधि में उसके पक्ष में अन्तरित हो गयी है तो इस नियम के अनुसार नाम-निर्देशन करने तक, उस नियम के अन्तर्गत विधिवत किया गया नाम-निर्देशन माना जायेगा।

- 8.2 यदि कोई अभिदाता उप नियम(i) के अन्तर्गत एक से अधिक व्यक्तियों का नाम-निर्देशन करता है तो उसे नाम-निर्देशन में प्रत्येक नाम-निर्दिष्ट को मिलने वाली उस राशि अथवा अंश का विनिर्देश उस ढंग से करना होगा कि निधि में किसी भी समय उसके पक्ष में जमा राशि का समूचा भाग उसमें निहित हो जाए।
- 8.3 प्रत्येक नाम-निर्देशन इन नियमों में दर्शाये गये प्रपत्र पर ही किया जायेगा।
- 8.4 कोई भी अभिदाता, कुल सचिव को लिखित सूचना देकर नाम-निर्देशन निरस्त करा सकता है। अभिदाता, ऐसी सूचना के साथ अथवा पृथकतः इस नियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया कोई भी नया नाम-निर्देशन भेज सकता है।
- 8.5 कोई भी अभिदाता नाम-निर्देशन में निम्नोल्लेख करेगा:

(क) किसी भी विनिर्दिष्ट नामिती के मामले में, उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में, अभिदाता उस नामिती को दिए गए अधिकार, उस नाम-निर्देशन में विनिर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति(यों) को अन्तरित करेगा बशर्ते कि ऐसा/ऐसे अन्य सदस्य, यदि अभिदाता के परिवार में अन्य सदस्य हैं, तो यह/ये भी अन्य सदस्य/सदस्यों के समान ही होंगे। यदि कोई अभिदाता इस खण्ड के अन्तर्गत, एक से अधिक सदस्यों को ये अधिकार प्रदान करता है तो उसे प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार से दी जाने वाली राशि का विनिर्देशन करना होगा जिससे की नामिति/नामितियों को दी जाने वाली समूची राशि उसमें समावेशित हो जाये।

(ख) नाम-निर्देशन उस स्थिति में अवैध हो जायेगा यदि उसमें विनिर्दिष्ट कोई आकस्मिकता घटित हो जाती है।

शर्त है कि यदि नाम-निर्देशन के समय अभिदाता के परिवार में अकेला ही सदस्य है तो नाम-निर्देशन में वह, यह व्यवस्था करेगा कि खण्ड (क) के अन्तर्गत नामिति को दिये गये अधिकार उस स्थिति में अवैध हो जाएँगे यदि बाद में वह अन्य सदस्य(ों) को अपने परिवार में सम्मिलित कर लेता है।

(i) अभिदाता द्वारा किया गया कोई भी नाम-निर्देशन तथा निरस्तीकरण के लिए दी गयी प्रत्येक सूचना (नोटिस), उसके वैध होने की स्थिति में, उस तिथि से प्रभावी होगी जिस तिथि को कुल सचिव ने वह प्राप्त की होगी।

टिप्पणी:— इस नियम में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, व्यक्ति अथवा “व्यक्तियों” में, कम्पनी अथवा संस्था अथवा व्यक्तियों का निकाय, भले ही संस्थापित हों या नहीं, सम्मिलित होंगे। इसमें प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय राहत निधि अथवा कोई भी अन्य धर्मार्थ न्यास अथवा निधि भी सम्मिलित होंगे जिसके लिये सचिव अथवा उन उक्त निधियों अथवा उन न्यासों, जो भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी हों, के अन्य कार्यपालकों के माध्यम से नाम-निर्देशन किये जायेंगे।

(ii) ऐसे सभी नामितों की एक अद्यतन पंजिका विश्वविद्यालय कार्यालयों में अनुरक्षित रखी जाएगी।

9.0 अभिदाता का सामान्य भविष्य निधि लेखा (खाता)

प्रत्येक अभिदाता के नाम से एक लेखा खोला जायेगा, जिसमें निधि के अन्तर्गत अग्रिम राशि/तथा निधि से निकासी सहित ब्याज एवं निधि में उसके अपने अंशदान का लेखा-जोखा रखा जायेगा।

10.0 सामान्य भविष्य निधि के अभिदान की शर्तें एवं दरें

(क) अंशदान की शर्तें

- (i) प्रत्येक अभिदाता विदेश-सेवा अथवा अपनी ड्यूटी पर अथवा विदेश सेवा में होने की स्थिति में मासिक रूप से अभिदान करेगा लेकिन निलम्बन अवधि में अभिदान नहीं करेगा।
शर्त यह है कि निलम्बनाधीन अवधि गुजारने के बाद पुनर्नियुक्ति की स्थिति में एक ऐसी राशि जो उस अवधि के लिए देय अभिदान की बकाया राशि से कम ही हो, के एक मुश्त अथवा किश्तों में भुगतान के विकल्प की अनुमति दी जा सकती है।
- (ii) एक अभिदाता ऐसे अवकाश, जिस पर या तो अवकाश-वेतन नहीं है अथवा आधे वेतन या आधे औसत वेतन के बराबर या उससे कम वेतन हों के विषय में अपना विकल्प देते हुए अवकाश अवधि में अभिदान देने से मना कर सकता है।
- (iii) अभिदाता, अवकाश पर जाने से पहले कुल सचिव को देते हुए उप-नियम (ii) में उल्लिखित अवकाश के दौरान अपना अभिदान न देने के अपने सचन की सूचना देगा। देय एवं सामयिक सूचना देने के अभाव में, अभिदान देने के चयन को ही मान लिया जाएगा। अभिदाता द्वारा इस उपनियम के अंतर्गत सूचित किये गये विकल्प को अंतिम मान लिया जायेगा।
- (iv) किसी अभिदाता ने, निधि में उनके पक्ष में जमा राशि, जो नियम-12 में उल्लिखित है, यदि निकाल ली है तो वे ऐसी निकासी के बाद ड्यूटी पर वापिस आने तक निधि में कोई अभिदान नहीं करेंगे।
- (v) उपनियम (i) में निहित किसी भी बात के रहते हुए भी कोई अभिदाता स्वयं द्वारा नौकरी छोड़े जाने के मास में निधि में तब तक अभिदान नहीं करेगा, जब तक कि वह उस मास के प्रारम्भ होने से पूर्व उस मास में अभिदान करने का अपना विकल्प लिखित रूप में कुलसचिव को नहीं दे देता है।

(ख) अभिदान की दरें

अभिदान राशि, निम्न शर्तों के आधार पर अभिदाता द्वारा निश्चित की जायेगी।

- (i) अभिदान की दर उनकी परिलब्धियों के 6 प्रतिशत से कम नहीं होगी और न ही कुल परिलब्धियों से अधिक होगी। इस प्रकार से परिकलित राशि निकटतम रुपये तक पूर्णांकित की जायेगी। शर्त है कि यदि अभिदान न्यूनतम अथवा अधिकतम दर पर हैं तो पूर्णांकन क्रमशः अगले उच्च रुपये अथवा अगले निम्न रुपये के रूप में होगा।
- (ii) वर्ष की अवधि के दौरान कभी भी एक बार कम करना।
- (iii) वर्ष की अवधि के दौरान दो बार वृद्धि।

(ग) ब्याज

- (i) विश्वविद्यालय, प्रत्येक अभिदाता का ब्याज, सरकारी कर्मियों के लिये स्वीकार्यानुसार, उनके खाते में जमा करायेगा।
- (ii) ब्याज, प्रत्येक वर्ष के प्रभावी अन्तिम दिवस से, निम्नानुसार जमा कराया जाएगा।
 - (क) पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को अभिदाता की जमा राशि पर, जिसमें से चालू वर्ष के दौरान निकाली गयी राशि-बारह मास का ब्याज कम कर दिया जायेगा।
 - (ख) चालू वर्ष में निकाली गयी राशि-चालू वर्ष की प्रथम अप्रैल से राशि निकालने के महीनों की अन्तिम तिथि तक का ब्याज।

(ग) पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च के बाद अभिदाता के लेखे में जमा की गयी सभी राशियों पर—जमा की गयी राशि की तिथि से चालू वर्ष की 31 मार्च तक का ब्याज।

(घ) ब्याज की कुल राशि को निकटतम पूर्ण रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा (पचास पैसे को अगले पूरे रुपये के रूप में गिना जायेगा)

शर्त है कि जब अभिदाता की जमा में मौजूद राशि भुगतानी हो गयी हो तो उसके ऊपर ब्याज इस नियम के अन्तर्गत जमा करा दिया जाएगा जो कि केवल चालू वर्ष के प्रारम्भ वाली अवधि अथवा जमा तिथि, जैसा भी मामला हो के सम्बन्ध में निहित राशि भुगतानी हो गयी हो, से सम्बन्धित होगा।

(iii) इस अनुच्छेद (पैराग्राफ) के प्रयोजन के लिए, जमा करने की तिथि उस मास का प्रथम दिन माना जायेगा जिस मास में इसे जमा किया गया होगा।

(iv) सभी मामलों में अभिदाता की जमा में शेष राशि के संबंध में ब्याज उस पूर्ववर्ती मास के समाप्त होने तक दिया जाएगा जिसका भुगतान किया गया था अथवा राशि के भुगतानी हो जाने वाले माह के बाद छठे महीने के अन्त में दिया जाएगा (इनमें से जो भी अवधि कम होगी)। शर्त है कि उस तिथि, जिस पर कुलसचिव ने अभिदाता अथवा उनके किसी एजेंट को उस तिथि के विषय में सूचित किया था जिस पर वे भुगतान करने को तैयार थे, के बाद की किसी भी अवधि के लिए कोई भी ब्याज नहीं दिया जायेगा।

(घ) निधि से अग्रिम राशि

(1) संस्वीकृतिदाता अधिकारी किसी भी अभिदाता को अधिकतम तीन माह के वेतन (मूल वेतन+ग्रेड वेतन) अथवा निधि में अभिदाता की जमा में निहित अभिदान राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज की राशि का आधा भाग, अस्थायी अग्रिम के रूप में, जो भी इनमें से कम हो, निम्न प्रयोजनों में से एक अथवा अधिक के लिए संस्वीकृत करेंगे :—

(क) रोग, प्रसूति अथवा अशक्तता सम्बन्धी व्यय सहित जहाँ आवश्यक हो अंशदाता तथा उसे परिवार के किसी भी ऐसे सदस्य, जो वास्तव ही में उनपर निर्भर करता हो, की यात्रा से सम्बन्धित व्यय का भुगतान करने के लिए।

(ख) उच्च शिक्षा की लागत का निर्वाह करने के लिए एवं जहाँ आवश्यक हो, अभिदाता तथा उसके परिवार के किसी भी ऐसे सदस्य जो निम्न मामलों के सम्बन्ध में वास्तव ही में उन पर निर्भर करते हों के यात्रा व्यय वहन करने के लिए।

(i) शैक्षणिक, तकनीकी, वृत्तिक अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों संबंधी शिक्षा, जो भारत से बाहर होती है तथा ऐसे पाठ्यक्रमों, जो हाईस्कूल स्तर के बाद होते हैं, के लिए।

(ii) हाईस्कूल स्तर के बाद भारत में चिकित्सा, अभियंत्रण अथवा अन्य तकनीकी अथवा विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों, शर्त यह भी है कि इन अध्ययनों के पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम के न हो, के लिए।

(ग) अभिदाता की हैसियत वाले स्तर पर हुए आवश्यक व्यय, अभिदाता द्वारा किये गये व्यय, जो पारम्परिक उपयोगों यथा: सगाई, विवाह या अन्येष्टि अथवा अन्य आयोजनों पर किए गए हैं का भुगतान करने के लिए।

(घ) अभिदाता, उसके परिवार के ऐसे सदस्य अथवा उन पर वास्तविक रूप से निर्भर किसी व्यक्ति के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध प्रारम्भ की गयी विधिक कार्रवाई की लागत वहन करने के लिए अग्रिम राशि उपलब्ध करायी जाती है, उस अग्रिम राशि के अलावा जो, किसी अन्य स्रोत से भी समान प्रयोजन के लिए स्वीकार्य है।

(च) ऐसे मामलों में, जहाँ अभिदाता अपने ऊपर अभिकथित शासकीय कदाचार के सम्बन्ध में जाँच से स्वयं को बचाने के लिए किसी विधि-व्यवसायी को नियुक्त करता है, अभिदाता से सम्बन्धित प्रतिवाद-व्यय का भुगतान करने के लिए।

(छ) टीवी, वीसीआर/वी सी पी, वॉशिंग मशीन, कुकिंग रेन्ज, गीजर एवं कम्प्यूटर आदि जैसी घरेलू (उपभोक्ता) वस्तुओं के क्रय के लिए।

(ज) उन स्थानों, जिन्हें तीर्थ स्थल अथवा किसी धर्म का प्रतिष्ठित स्थान माना जाता है, के विषय में संस्वीकृति दाता अधिकारी की संतुष्टि हो जाने पर, उन स्थलों की यात्रा पर हुए व्यय को वहन करने के लिए।

(1-क) कुलपति विशेष परिस्थितियों में किसी भी अभिदाता को अग्रिम राशि के भुगतान की संस्वीकृति उस अवस्था में दे सकते हैं यदि उन्हें यह संतुष्टि हो जाये कि संबंधित अभिदाता को उप-नियम (1) में उल्लिखित कारण के अतिरिक्त अन्य कारणों हेतु अग्रिम राशि चाहिये।

- (2) लिखित में रिकॉर्ड किये गये विशेष कारणों के अतिरिक्त, अग्रिम राशि किसी भी अभिदाता को उपनियम (1) में निर्धारित सीमा से अधिक अथवा किसी पिछले अग्रिम की अन्तिम किश्त के पुनर्भुगतान तक स्वीकृत नहीं की जायेगी।

शर्त यह भी है कि अग्रिम राशि किसी भी स्थिति में अभिदाता की निधि में उनके पक्ष में जमा अभिदान की राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज से अधिक नहीं होगी।

- (3) जब किसी विगत अग्रिम राशि की अन्तिम किश्त के पुनर्भुगतान से पूर्व उप-नियम (2) के अन्तर्गत कोई अग्रिम राशि संस्वीकृत कर दी जाती है तो विगत अग्रिम का गैर वसूला गया शेष, उक्त संस्वीकृत अग्रिम राशि में जोड़ दिया जायेगा तथा वसूली की जाने वाली किश्तों को समेकित राशि में निर्देश सहित निर्धारित कर दिया जायेगा।

(च) अग्रिम राशि की संस्वीकृति हेतु अधिकारी

- (1) नियम 9 के उप-नियम (1) और (2) के अन्तर्गत अभिदाता को निधि से अस्थायी अग्रिम राशि विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा संस्वीकृति की जायेगी।
- (2) नियम 10 के उप-नियम (1-क) के अन्तर्गत निधि से अग्रिम राशि कुलपति द्वारा संस्वीकृति की जायेगी।

(छ) अग्रिम राशि की वसूली

- (1) अभिदाता से अग्रिम राशि की पुनर्प्राप्ति, संस्वीकृति अधिकारी के निर्देशानुसार समान मासिक किश्तों की निर्धारित संख्या में की जाएगी लेकिन यह संख्या बारह से कम नहीं होगी और यदि अभिदाता चाहे तो भी यह संख्या चौबीस से अधिक नहीं होगी। ऐसे विशेष मामलों में जहाँ अभिदाता के तीन मास के वेतन से अग्रिम की राशि अधिक हो जाती है तो नियम-10 के उप-नियम 2 के अन्तर्गत संस्वीकृति अधिकारी ऐसी संख्या चौबीस से अधिक निर्धारित करेंगे परन्तु, किसी भी स्थिति में यह संख्या छत्तीस से अधिक नहीं होगी।

कोई भी अभिदाता, अपने विकल्प के अनुसार, निर्धारित से कम संख्या में किश्तों द्वारा पुनर्भुगतान कर सकेगा। ऐसी किश्तों के निर्धारण के लिए यदि आवश्यक हो तो अग्रिम की राशि के बढ़ाए जाने अथवा कम किए जाने की स्थिति में प्रत्येक किश्त पूर्ण रूपों वाली संख्या में होगी।

- (2) वसूली (वापिसी) की प्रक्रिया, अभिदान की वसूली हेतु नियम 9 में निर्धारित विधि द्वारा की जाएगी तथा यह वापिसी वसूली, अग्रिम राशि प्राप्त किए जाने वाले मास के अगले मास से प्रारम्भ की जायेगी। अभिदाता की सहमति के अतिरिक्त उस अवस्था में पुनर्वसूली नहीं की जायेगी जबकि उसे निर्वाह-अनुदान मिल रहा हो अथवा उस एक कलैण्डर मास में 10 दिन अथवा अधिक दिन अवकाश पर रहा हो जिसमें या तो अवकाश वेतन न हो अथवा आधे वेतन या आधे औसत वेतन के समान या कम अवकाश वेतन, जैसा भी हो, पर वह न हो। अभिदाता के लिखित अनुरोध के आधार पर अभिदाता के स्वीकृति वेतन के अग्रिम की वसूली के दौरान, पुनर्वसूली को संस्वीकृति अधिकारी द्वारा स्थगित किया जा सकेगा।
- (3) यदि, कोई भी अग्रिम राशि किसी अभिदाता को स्वीकृत की गयी है और उसने वह प्राप्त कर ली है तथा पुनर्भुगतान के पूर्ण होने से पूर्व ही, बाद में उसे अस्वीकृत कर दिया गया है तो प्राप्त राशि का समूचा अथवा शेष अंश, तत्काल ही, निधि में अभिदाता द्वारा वापिस जमा करा दिया जायेगा तथा असफल होने की स्थिति में अभिदाता की परिलब्धियों से एक मुश्त अथवा नियम 10 उपनियम (2) के अन्तर्गत अपेक्षित विशेष कारणों हेतु स्वीकृति प्रदान करने के लिए मंजूरी दे सकने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा निर्देशितानुसार, अधिकतम बारह मासिक किश्तों में उसकी पुनर्वसूली के लिए आदेश दे दिए जायेंगे।

शर्त यह है कि इस प्रकार की अग्रिम राशि की अस्वीकृति से पूर्व, अभिदाता को एक अवसर प्रदान किया जायेगा कि वह पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर संस्वीकृत अधिकारी को लिखित में यह स्पष्ट करेंगे कि क्यों न चुकौती के लिए उन पर दबाव बनाया जाए और यदि अभिदाता द्वारा पन्द्रह दिन में अपना स्पष्टीकरण जमा करा दिया जाता है तो मामला निर्णय के लिए कुलपति के पास भेज दिया जायेगा और यदि निश्चित अवधि में कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता तो उपनियम में निर्धारित विधि से अग्रिम की पुनर्वसूली के लिए अभिदाता को बाध्य किया जायेगा।

- (4) इस नियम के अन्तर्गत की गयी वसूलियों को उसी प्रकार से जमा किया जायेगा जैसे कि अभिदाता के निधि खाते में वे जमा होती हैं।

11.0 अग्रिम का सदोष उपयोग

इन नियमों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी यदि संस्वीकृति अधिकारी को यह शंका करने का कोई आधार दिखाई देता है कि नियम-10 के अन्तर्गत निधि से निकाली गयी किसी अग्रिम राशि का उपयोग उस प्रयोजन, जिसके लिये राशि की निकासी हेतु संस्वीकृति दी गयी थी, के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जा रहा है तो वे उपरोक्त शंका के लिए अभिदाता को कारण बताएंगे और ऐसी सूचना प्राप्ति के पन्द्रह दिन के अन्दर अभिदाता से लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्ति की अपेक्षा करेंगे कि क्या अग्रिम राशि उसी प्रयोजन के लिए प्रयोग में लायी गयी है

जिसके लिए वह संस्वीकृत की गयी थी। यदि संस्वीकृति अधिकारी, पन्द्रह दिन की अवधि में अभिदाता द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं तो संस्वीकृति अधिकारी अभिदाता को निधि में तुरन्त ही विवादित राशि जमा करने का निर्देश देंगे, या फिर चूक की अवस्था में वे अभिदाता की परिलब्धियों से एक मुश्त कटौती करके राशि की पुनर्वसूली का आदेश देंगे; भले ही अभिदाता अवकाश पर क्यों न हो। तथापि, पुनर्भुगतान की जाने वाली कुल राशि, यदि अभिदाता की परिलब्धि के आधे से अधिक है तो उसकी परिलब्धियों के अर्धांश के बराबर मासिक किश्तों के द्वारा पुनर्वसूली तब तक करते रहेंगे जब तक कि उनके द्वारा समूची राशि का पुनर्भुगतान नहीं कर दिया जाता।

टिप्पणी:— इस नियम के अन्तर्गत 'परिलब्धियाँ' शब्द में निर्वाह भत्ता सम्मिलित नहीं है।

12.0 निधि से निकासी

(1) उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, निकासी की संस्वीकृत कुल सचिव द्वारा कभी भी दी जा सकती है।

(अ) अभिदाता की सेवा के पन्द्रह वर्ष (सेवा में खंडित अवधि यदि कोई हो, सहित) पूर्ण करने के पश्चात् अथवा उसकी सेवा निवृत्ति अथवा अधिवर्षता तिथि से पूर्व दस वर्ष के अन्दर, जो भी पहले हो, निधि में अभिदाता के पक्ष में जमा राशि और उस पर अर्जित ब्याज से निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक प्रयोजनों के लिए यथा:—

(क) उच्च शिक्षा की लागत भरने तथा जहां आवश्यक हो निम्न मामलों में अभिदाता अथवा उसके बच्चों की यात्रा से जुड़े व्यय वहन करने के लिए यथा :—

(i) अकादमिक तकनीकी, वृत्तिक शिक्षा हेतु भारत से बाहर के लिए अथवा उच्च विद्यालय (हाई स्कूल) स्तर के आगे व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं

(ii) किसी भी चिकित्सीय, अभियांत्रिक अथवा उच्च विद्यालय स्तर से आगे अन्य तकनीकी अथवा विशेषज्ञता पाठ्यक्रम भारत में,

(ख) अभिदाता अथवा उसके पुत्र(ों), उसकी पुत्री/पुत्रियों अथवा वस्तुतः निर्भर किसी भी अन्य महिला सम्बन्धी की सगाई/विवाह के सम्बन्ध में होने वाले व्ययों से निपटने के लिए;

(ग) किसी भी अभिदाता और उनके परिवार के सदस्य अथवा वास्तव ही में उनपर निर्भर किसी भी अन्य व्यक्ति की रुग्णता और जहाँ आवश्यक हो उससे संबंधित, यात्रा व्यय का निर्वाह करने के लिए;

(घ) टीवी/वीसीआर/वीसीपी, वॉशिंग मशीन, कुकिंग रेन्ज, गीजर जैसी उपभोक्ता सुविधाओं की लागत का भुगतान करने के लिए;

(ब) अभिदाता की सेवा-अवधि में अपनी निधि में उपलब्ध अभिदान राशि और उस पर अर्जित ब्याज की राशि से निम्न प्रयोजनों के लिए एक या अधिक बार यथा:—

(क) अपने आवास के लिए उपयुक्त मकान बनाना अथवा बने बनाये फ्लैट खरीदना जिसमें स्थल की लागत भी सम्मिलित है अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण, राज्य आवास बोर्ड अथवा आवास निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवंटित किसी भूखण्ड अथवा फ्लैट के भुगतान हेतु;

(ख) अपने आवास के लिए, उपयुक्त मकान बनाने के लिए अथवा बने-बनाये फ्लैट का क्रय करने के लिए एकदम तुरन्त ली गयी ऋण राशि के बकाया के भुगतान हेतु;

(ग) अभिदाता के पहले से ही स्वामित्व वाले अथवा अर्जित किये गये मकान अथवा फ्लैट में परिवर्धन या परिवर्तन करने अथवा पुनर्निर्माण हेतु;

(घ) कार्य-स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थल पर पुरखों के मकान का नवीयन, परिवर्धन अथवा परिवर्तन या रख-रखाव अथवा कार्य-स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थल पर विश्वविद्यालय अथवा सरकार से लिये गये ऋण से बनाये गये किसी मकान के लिये;

(ङ) खण्ड (क) के अन्तर्गतानुसार क्रय किये गये किसी स्थल पर मकाने बनाने हेतु;

(स) अभिदाता की अधिवर्षता पर सेवा-निवृत्ति तिथि से पूर्व के बारह मास के अन्दर निधि में उपलब्ध अभिदान की राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज, बिना किसी प्रयोजन के साथ जोड़े :—

(द) किसी भी वित्तीय वर्ष में केवल एक बार स्व-वित्त प्रबन्धन एवं अंशदायी आधार पर विश्वविद्यालय कर्मियों हेतु समूह बीमा योजना हेतु अभिदाता द्वारा प्रदत्त एक वर्ष की अभिदान राशि के समान राशि ।

टिप्पणी 1:— किसी भी अभिदाता को, जिसने विश्वविद्यालय से अग्रिम लिया है अथवा किसी भी सरकारी स्रोत से, उसे इस संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने हेतु अनुमत किया गया है, खण्ड (ब) के उपखण्ड (क), (ग) एवं (ङ) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु तथा नियम-12 के

उपनियम (1) की शर्तों में विनिर्दिष्ट सीमा तक उपरोल्लिखित स्रोतों से लिये गये ऋण के भुगतान हेतु अन्तिम वापिसी की स्वीकृति हेतु उपयुक्त होगा;

यदि किसी अभिदाता के पूर्वजों का मकान है अथवा विश्वविद्यालय से प्राप्त ऋण की सहायता से अपने कार्य (इयूटी) स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर मकान बनाता है, तो वह, मकान-स्थल के क्रय हेतु अथवा एक और मकान के निर्माण हेतु अथवा अपने कार्य स्थल पर निर्मित मकान के लिए खण्ड (ब) के उपखण्ड (क) (ग) और (ड़) के अन्तर्गत अंतिम निकासी की मंजूरी हेतु पात्र हो जाएगा।

टिप्पणी 2:— खण्ड-ब के उपखण्ड (क), (ग), (घ) और (ड़) के अन्तर्गत प्रत्याहरण की संस्वीकृति केवल तभी दी जायेगी जबकि अभिदाता ने निर्मित किये जाने वाले मकान अथवा जिस क्षेत्र में स्थल अथवा मकान स्थित है वहाँ के स्थानीय निगम निकाय से विधिवत् स्वीकृत करायी गयी परिवर्धन-परिवर्तन की वह योजना जिसे कि वास्तव ही में स्वीकृत कराया जाना था, जमा करा दी गयी है।

टिप्पणी 3:— खण्ड-ब के उपखण्ड (ख) के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रत्याहरण की राशि आवेदन-तिथि को रहे शेष के साथ-साथ उपखण्ड-(क) के अन्तर्गत विगत प्रत्याहरित राशि, जिसमें से पिछले प्रत्याहरण की राशि कम की जायेगी, के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी। इसके लिए अपनाया जाने वाला सूत्र है कि किसी विशिष्ट तिथि को उपलब्ध शेष की राशि में, जमा कर, संदर्भित मकान हेतु किये गये पिछले प्रत्याहरणों की राशि, उसमें से पिछले प्रत्याहरणों की राशि को घटा दिया जाये।

टिप्पणी 4:— खण्ड-ब के उपखण्ड (क) अथवा (ग) के अन्तर्गत भी प्रत्याहरण उस स्थिति में अनुमत कर दिया जाएगा जहाँ मकान-स्थल अथवा मकान, पत्नी अथवा पति के नाम में है परन्तु शर्त यह है कि अभिदाता द्वारा किये गये नामन में वह भविष्य निधि प्राप्त करने की दृष्टि से पहले/पहली नामिती हों।

टिप्पणी 5:— इस नियम के अन्तर्गत, समान प्रयोजन के लिए केवल एक प्रत्याहरण की ही अनुमति होगी। विभिन्न बच्चों का विवाह अथवा शिक्षा अथवा विभिन्न अवसरों पर रुग्णता अथवा उस क्षेत्र, जिसमें मकान या फ्लैट स्थित हैं, के स्थानीय निगम निकाय द्वारा विधिवत् स्वीकृत नवीनतम योजना में समाविष्ट किसी भी मकान अथवा फ्लैट के परिवर्धन, परिवर्तन को, समान प्रयोजन की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। खण्ड (ब) के उपखण्ड (क) और (ड़) के अन्तर्गत, समान मकान को पूर्ण करने के लिए द्वितीय अथवा उत्तरवर्ती प्रत्याहरण, टिप्पणी के अन्तर्गत निर्धारित सीमा तक ही अनुमत होगा।

टिप्पणी 6:— इस नियम के अन्तर्गत प्रत्याहरण उस अवस्था में संस्वीकृत नहीं किया जायेगा यदि नियम-घ के अन्तर्गत अग्रिम राशि समान प्रयोजन के लिए और समान समय पर संस्वीकृत की जा रही है।

13.0 प्रत्याहरण हेतु शर्तें

- (1) नियम-16 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिए निधि में उसके पक्ष में उपलब्ध किसी राशि से केवल एक बार किसी भी अभिदाता द्वारा कोई भी प्रत्याहरित राशि, सामान्यतः अभिदान और उस पर अर्जित ब्याज, जो अभिदाता के नाम से उसके खाते में उपलब्ध है या छः मास के वेतन, इनमें से जो भी कम हो, अभिदान राशि के एक-आधे से अधिक नहीं होगी। तथापि, कुल सचिव नियम 12 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रत्याहरण के मामले में कुछ तथ्यों पर विचारते हुए, अभिदाता निधि में उनके पक्ष में उपलब्ध राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज राशि के 90 प्रतिशत तथा उपखण्ड (क) के अन्तर्गत प्रत्याहरण के मामले में इस सीमा से भी अधिक, 3/4 की सीमा तक राशि के प्रत्याहरण की संस्वीकृति दे सकते हैं। इसमें विचारणीय होगा कि (i) प्रत्याहरण किए जाने का उद्देश्य क्या है (ii) अभिदाता की प्रस्थिति क्या है तथा (iii) अभिदाता-निधि में उसके पक्ष में अभिदान की राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज-राशि की स्थिति क्या है? शर्त है कि ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने स्वयं की अग्रिम राशि प्राप्त की है अथवा इस सम्बन्ध में किसी अन्य सरकारी स्रोत से मदद लेने की अनुमति दी गयी है, इस उपनियम के अन्तर्गत प्रत्याहरित राशि के सहित अग्रिम-राशि एवं किसी भी अन्य सरकारी स्रोत से प्राप्त मदद, गृह निर्माण उद्देश्यों के लिए अग्रिम राशि की मंजूरी हेतु योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा समय-समय निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी। साथ ही यह भी शर्त है कि नियम 12 (1)(ग) के अन्तर्गत स्वीकार्य प्रत्याहरण, अभिदाता-निधि में उसके पक्ष में उपलब्ध अभिदान-राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- (2) अभिदाता, जिसे नियम-16 के अन्तर्गत, निधि से राशि के प्रत्याहरण की अनुमति दी गयी है, कुल सचिव को उनके द्वारा निर्धारित, निश्चित समय-सीमा के भीतर यह सुनिश्चित करायेगा कि राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए उसका प्रत्याहरण हुआ था, और यदि वह यह कर पाने में असफल रहता है तो प्रत्याहरित समूची राशि या उसका वह भाग, जो किये गये प्रत्याहरण के प्रयोजन हेतु आवेदित ही नहीं किया गया है, अभिदाता द्वारा निधि में तुरन्त ही एक मुश्त जमा कराया जायेगा और ऐसे भुगतान में चूक होने पर कुलसचिव द्वारा किये गये आदेशानुसार इसकी वसूली, एक मुश्त अथवा कुल सचिव द्वारा निर्धारित संख्या वाली मासिक किश्तों में की जायेगी।

शर्त है कि इस उपनियम के अन्तर्गत प्रत्याहरण की वसूली प्रवर्तित करने से पूर्व, अभिदाता को स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर, लिखित में इसका स्पष्टीकरण देने के लिए एक अवसर दिया जाए कि क्यों न उनके विरुद्ध वसूली प्रवर्तित की कार्यवाही प्रारम्भ की जाये, यदि, अभिदाता द्वारा उक्त पन्द्रह दिनों के भीतर स्पष्टीकरण जमा नहीं कराया जाता अथवा कुलसचिव स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होते तो वे इस उप-नियम में निर्धारित विधि के अनुसार भुगतान प्रवर्तन लागू कर देंगे।

- 3 (क) ऐसे अभिदाता, जिन्हें नियम-12 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ख) के अन्तर्गत निधि में उनके पक्ष में उपलब्ध अभिदान की राशि और उस पर अर्जित ब्याज से प्रत्याहरण की अनुमति दी गयी है, प्रत्याहरित राशि से बनाये गये या अर्जित किये गये मकान, अथवा उक्त प्रत्याहरित राशि से क्रय किये गये मकान हेतु स्थान पर कब्जे से, कुल सचिव की पूर्व अनुमति के बिना, बिक्री के माध्यम से, रेहन रखकर, उपहार में देकर, विनिमय अथवा अन्य प्रकार से, स्वयं को विलग नहीं करेंगे

शर्त है कि ऐसी अनुमति निम्न के लिए आवश्यक नहीं होगी:-

- (i) मकान अथवा मकान हेतु स्थान को कितने भी समय, परन्तु अधिकतम तीन वर्ष, के लिए पट्टे पर देना या
 - (ii) इसको हाउसिंग बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम अथवा सरकार के स्वामित्व वाले या सरकारी नियंत्रण वाले अन्य निगम जो नया मकान बनाने के लिए या वर्तमान मकान में परिवर्धन परिवर्तन के लिए अग्रिम रूप से ऋण देते हों, के पास गिरवी रखा जा रहा हो।
- (ख) अभिदाता, प्रतिवर्ष अधिकतम 31 दिसम्बर तक एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि क्या पूर्वोक्तानुसार मकान अथवा मकान के लिए स्थान, जैसा भी मामला हो अभी भी उसके अपने ही कब्जे में है या उसे बंधक रख दिया गया है, अन्यथा हस्तान्तरित कर दिया गया है अथवा छोड़ दिया गया है, यदि अपेक्षित हो तो कुलसचिव के समक्ष, उनके द्वारा निर्धारित तिथि पर या उससे पहले, उसके सम्बन्ध में मूल बिक्री, बंधक अथवा पट्टा विलेख तथा ऐसे सभी दस्तावेज, जिन पर उनका सम्पत्ति-स्वामित्व आधारित है, प्रस्तुत करेगा।
- (ग) यदि, सेवानिवृत्ति से पूर्व किसी भी समय अभिदाता, कुल सचिव से पूर्व अनुमति लिये बिना मकान अथवा मकान के लिए स्थान के स्वामित्व से स्वयं को विलग कर लेता है तो वह स्वयं द्वारा प्रत्याहरित की गयी राशि तुरन्त ही एकमुश्त, निधि में जमा करायेगा और ऐसे पुनर्भुगतान सम्बन्धी चूक के मामले में, कुलसचिव, अभिदाता की परिलब्धियों में से उक्त राशि या तो एक मुश्त अथवा कुल सचिव द्वारा निर्धारित संख्या में मासिक किश्त में उसकी वापिसी-वसूली करायेंगे।

टिप्पणी:-किसी भी अभिदाता, जिसने सरकार से ऋण लिया है और उसकी एवज में उसने मकान या मकान हेतु स्थान को सरकार के पास बंधक रख दिया तो उसे निम्नानुसार एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा यथा:-

“मैं एतदनुसार यह प्रमाणित करता हूँ कि उक्त मकान अथवा मकान-स्थल जिसके निर्माण अथवा जिसके अर्जन के लिए मैंने भविष्य निधि से अन्तिम प्रत्याहरण किया है अभी भी मेरे ही कब्जे में है परन्तु सरकार के पास बंधकावस्था में है।”

14.0 अग्रिम राशि का प्रत्याहरण में संपरिवर्तन

कोई भी अभिदाता जो नियम-16 के उप-नियम(1) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन हेतु नियम-12 के अन्तर्गत भविष्य में कभी भी अग्रिम राशि आहरित कर सकता है अथवा उसने पहले से ही अग्रिम आहरित किया हुआ है, कुल सचिव को सम्बोधित एक लिखित अनुरोध द्वारा अपने स्वेच्छानिर्णय आधार पर, उसकी ओर बकाया शेष को, अन्तिम प्रत्याहरण में संपरिवर्तित करा सकता है।

15.0 सामा.भवि. निधि में संचयन का अन्तिम प्रत्याहरण

जब कोई अभिदाता विश्वविद्यालय की सेवाएँ (अर्थात् अस्वीकृत छुट्टी की स्वीकृति) छोड़ता है तो निधि में उसके पक्ष में उपलब्ध राशि उसके प्रति भुगतानी हो जाती है।

शर्त है कि अभिदाता, जिन्हें विश्वविद्यालय सेवा से पदच्युत कर दिया गया था तथा तत्पश्चात् उन्हें सेवा में बहाल कर दिया गया था, यदि ऐसा करना अपेक्षित हो तो, उन्हें इन नियमों में नियम 10 (क) एवं (ख) में प्रावधानित दर पर ब्याज सहित, इस नियम के अनुपालन में इस निधि से उन्हें भुगतान की गयी किसी भी राशि का पुनर्भुगतान (वापिसी) करना होगा। इस प्रकार वापिसी से प्राप्त राशि, निधि के उनके खाते में जमा कर दी जायेगी।

16.0 सामा.भवि. निधि के अभिदाता की सेवा-निवृत्ति

- (i) यदि कोई अभिदाता सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश पर चला गया है अथवा यह प्रावकाश सहित सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश पर किसी अवकाश विभाग में नियुक्त है; अथवा

- (ii) अवकाश पर होते हुए भी, सेवानिवृत्त होने के लिए अनुमत कर दिया गया है अथवा इस सम्बन्ध में प्रबन्धन मंडल द्वारा निर्धारित किये जाने वाले सक्षम चिकित्सा अधिकारी के परामर्शी चिकित्सा अधिकारी द्वारा आगे की सेवा हेतु अयोग्य घोषित कर दिये गये हैं, निधि में उनके खाते में उपलब्ध राशि अभिदाता को भुगतानी हो जायेगी।

शर्त है कि अभिदाता, यदि वह कार्य (ड्यूटी) पर लौटता है (तथा विश्वविद्यालय अन्यथा निर्णय लेता है, के अतिरिक्त) तो निधि से भुगतान की गयी राशि, उस पर अर्जित ब्याज सहित इस नियम के अनुपालन में उसके लेखे में जमा, उसकी अपनी निधि में जमा करायेगा। यह राशि प्रबन्धन मंडल के निर्देशानुसार उसकी परिलब्धियों से, किशतों में अथवा अन्यथा ढंग से वसूल कर उसकी निधि में जमा करा दी जाएगी।

17.0 सामा. भवि. निधि अभिदाता की मृत्यु पर कार्यविधि/प्रक्रिया

अभिदाता के खाते में उपलब्ध राशि के भुगतानी हो जाने से पूर्व, अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर, अथवा भुगतान कर दिये जाने से पूर्व राशि भुगतान कर दी गयी है :

(I) जब एक अभिदाता परिवार छोड़ जाता है :-

- (क) यदि अभिदाता ने पैरा (12) के उप-पैरा (i) के अनुसार अथवा इसके पहले से प्रभावी तदनुरूप प्रावधानों के अनुसार अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए परिवार के सदस्य(ों) का नामन किया है तो निधि में उनके नाम से जमा राशि अथवा उसके अंश, जिसके साथ नामन संबंधित है तो वह नामन में विनिर्दिष्ट अनुपात में उन नामिती अथवा नामितियों में भुगतानी हो जायेंगे।
- (ख) यदि अभिदाता के परिवार के सदस्य(ों) के पक्ष में कोई भी नाम निर्देशन नहीं है अथवा ऐसा नाम-निर्देशन यदि निधि (फण्ड) में उसकी उपलब्ध राशि के किसी भाग से सम्बन्धित है तो समूची राशि, उसका वह भाग, जिससे नाम-निर्देशन सम्बन्धित नहीं है जैसा भी मामला हो, उनके परिवार के सदस्य(ों) के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पक्ष में किसी भी नाम निर्देशन न होने की स्थिति में, पारिवारिक सदस्यों में समान अंशों में देय होगा।

शर्त है कि कोई भी अंश निम्न को देय नहीं होगा :-

- (i) पुत्र, जो परिपक्व (प्रौढ़) हो चुका है/चुके हैं
- (ii) मृतक पुत्र के पुत्र जो परिपक्व (प्रौढ़) हो चुका है/चुके हैं
- (iii) विवाहिता पुत्रियाँ जिनके पति जीवित हैं
- (iv) मृतक पुत्र की विवाहिता पुत्रियाँ जिनके पति जीवित हैं ।

यदि, खण्ड (i), (ii), (iii) तथा (iv) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त परिवार का कोई अन्य और भी सदस्य है :

आगे शर्त है कि किसी मृतक व्यक्ति की विधवा अथवा विधवाएँ तथा बच्चा अथवा बच्चे केवल उस अंश को समान रूप से प्राप्त करेंगे जो अभिदाता के जीवित होने की स्थिति में राशि उन्हें मिलती है तथा प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) के प्रावधानों से अभिदाता को छूट मिल सकती थी।

- (II) यदि कोई अभिदाता अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ जाता, तो उसके द्वारा पैराग्राफ-12 के उपपैरा (1) अथवा ऐसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों जो उन पर आश्रित थे तथा उनके पक्ष में अब प्रभावी अनुवर्ती प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा किया गया नाम निर्देश उपलब्ध है तो निधि में उनके खाते में उपलब्ध राशि अथवा उसका वह भाग जिससे नाम-निर्देश सम्बन्धित है तो वह उसके नाम अथवा नामितियों के बीच उस अनुपात में देय हो जायेगा, जो नाम-निर्देशन में विनिर्दिष्ट होगा।

18.0 निक्षेप (जमा) सहलगन बीमा

अभिदाता की मृत्यु पर, उसके खाते में उपलब्ध राशि को प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति को, विश्वविद्यालय द्वारा, अभिदाता की मृत्यु के तुरन्त पूर्ववर्ती गत तीन वर्ष की अवधि में खाते में औसतन शेष के समतुल्य एक अतिरिक्त राशि निम्न शर्तों पर प्रदान की जायेगी:-

- (क) ऐसे अभिदाता के लेखे में उनकी उपलब्ध शेष राशि, मृत्यु-मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की अवधि में कभी भी निम्न सीमा से कम नहीं होगी।
- (i) रुपये 25,000/- ऐसे अभिदाता के मामले में, जो वेतन पट्टी (पे बैंड)-2 (रुपये 9300-34800) के अथवा उच्च पदधारी है तथा रुपये 4800/- अथवा अधिक ग्रेड-पे प्राप्त कर रहे हैं।
 - (ii) रुपये 15,000/- ऐसे अभिदाता के मामले में, जो वेतन पट्टी-2 (9300-34800) के पदधारी हैं तथा रुपये 4200/- और अधिक परन्तु रुपये 4800/- से कम ग्रेड पे प्राप्त कर रहे हैं।

- (iii) रुपये 10,000/- ऐसे अभिदाता के मामले में जो वेतन पट्टी-2 वेतन पट्टी-1 अथवा वेतन पट्टी-आई एस (रुपये 4440-7440) के पदधारी हैं तथा ग्रेड-रुपये 1400 एवं अधिक परन्तु रुपये 4200/- से कम ग्रेड-पे प्राप्त कर रहे हैं।
- (iv) रुपये 6,000/-, ऐसे अभिदाता के मामले में, जो वे0प0 (वेतन पट्टी) आई एस (रुपये 4400-7440) के अन्तर्गत पदधारी हैं तथा रुपये 1300 अथवा अधिक परन्तु 1400 से कम ग्रेड-पे प्राप्त कर रहे हैं।
- (ख) इस नियम के अन्तर्गत देय अतिरिक्त राशि रुपये 60,000/- से अधिक नहीं होगी।
- (ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु से पूर्व कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

19.0 सामान्य भविष्य लेखों का विवरण

- (i) प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद यथा सम्भव शीघ्रता के साथ, वित्त अधिकारी प्रत्येक अभिदाता को निधि में उनके लेखों का विवरण यह दर्शाते हुए प्रेषित करेगा कि वर्ष की पहली अप्रैल को अथशेष क्या था? वर्ष के दौरान जमा की गयी और निकाली गयी कुल राशि, वर्ष की 31 मार्च को जमा कुल ब्याज राशि तथा उस तिथि को अंतःशेष की क्या स्थिति थी? वित्त अधिकारी लेखों के विवरण के साथ यह पूछताछ भी संलग्न करेगा कि क्या :-
- (क) अभिदाता स्वयं के द्वारा किये गये नाम निर्देशन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का इच्छुक है;
- (ख) अभिदाता ने कोई परिवार अपनाया हुआ है (ऐसे मामलों में जहाँ इस नियम के अंतर्गत अभिदाता ने अपने परिवार के किसी भी सदस्य के पक्ष में नाम-निर्देशन नहीं किया)?
- (ii) अभिदाताओं को, स्वयं को वार्षिक लेखों के विवरण की यथा तथ्यता के प्रति संतुष्ट कर लेना चाहिए, तथा कोई भी भूल-चूक वार्षिक विवरण की प्राप्ति तिथि के तीन मास के भीतर वित्त अधिकारी की जानकारी में लायी जानी चाहिए।
- (iii) यदि अभिदाता एक बार इच्छा व्यक्त करता है तो वित्त नियंत्रक वर्ष में केवल एक बार, और उसके बाद पुनः नहीं, अभिदाता को निधि में उनके खाते में उस अंतिम मास के अन्त की कुल उपलब्ध राशि के सम्बन्ध में सूचना देगा, जिस मास के लिए उसका खाता लिखा गया है।

20.0 निधियों का निवेश

निधि में प्रदत्त सभी राशियाँ, "गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की पेंशन निधि एवं सामान्य भविष्य निधि" नाम से पृथक् खातों में विश्वविद्यालय-बहियों में जमा कर ली जायेंगी। विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत राष्ट्रीय बैंक में एक जमा खाता उस विधि से संचालित किये जाने के लिए खोला जाएगा जैसा कि प्रबंधन मंडल निर्देश करेगा। विश्वविद्यालय, निधि का वह भाग जो समीचीन समझा जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियों/प्रमाण पत्रों, विनिमय सरकारी प्रत्याभूत बाण्ड्स और केन्द्रीय सरकार की ऐसी जमा योजनाओं जो इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित की जायेंगी, में निवेश करेगा।

ऐसे निवेशों से प्राप्त होने वाले ब्याज अथवा लाभ को संबंधित खातों में जमा कर दिया जाएगा। न्यासी मंडल (बोर्ड ऑफ ट्रस्टी) समय-समय पर वित्तीय दायित्व की समीक्षा करेगा और यदि सम्बन्धित निधि में किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो प्रमुख नियोक्ता होने के नाते से विश्वविद्यालय ही उसे वहन करेगा।

21.0 पेंशन श्रेणियाँ

पेंशन उन स्थायी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है जो न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद सेवा-निवृत्त होते हैं या हो चुके हैं। ऐसे अस्थायी कर्म, जो न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा करने के बाद अधिवर्षता अथवा अमान्यकरण आधार पर सेवा-निवृत्त हुए हैं अथवा 20 वर्ष की अर्हक अबाध सेवा करने के बाद स्वैच्छिक सेवा-निवृत्त ले चुके हैं, भी पेंशन पाने के हकदार होंगे। 33 वर्ष की पात्रता सेवा से, पूर्ण पेंशन की सहलग्नता को समाप्त कर दिया गया है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी 20 वर्ष की न्यूनतम पात्रता सेवा को पूर्ण कर लेता है तो उसे उसकी परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के 50% तक की पेंशन, जो भी उसके लिए लाभकारी हो, का भुगतान किया जाएगा। यदि विश्वविद्यालय का कर्मचारी, सीसीएस नियम 1977 के नियम 49 (2) के अनुपालन में 10 वर्ष की पात्रता सेवा को पूरा करने पर पेंशन का हकदार बनता है तो ऐसे मामले में उसकी परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों जो भी सरकारी कर्मचारी के लिए लाभकारी हो के 50% तक की पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

- (क) **अधिवर्षता पेंशन:-** के.सि. सेवा (पेंशन) के नियम 1972 के नियम 35 के अनुसार अधिवर्षता के बाद सेवा-निवृत्ति पर।
- (ख) **सेवा निवृत्ति पेंशन:-** के.सि. सेवा (पेंशन) के नियम 1972 के नियम 36 के अनुसार अधिवर्षता से पूर्व स्वैच्छिक अथवा समय-पूर्व सेवा-निवृत्ति पर।

- (ग) **अनिवार्य सेवा निवृत्ति पेंशन:**— के.सि. सेवा (पेंशन) के नियम 1972 के नियम 40 के अनुसार शास्ति (पैनल्टी) की कार्यवाही स्वरूप अनिवार्य सेवा निवृत्ति । ऐसी पेंशन अथवा उपदान या दोनों ही, दो तिहाई से कम नहीं अथवा पूर्ण प्रतिपूर्ति पेंशन अथवा उपदान अथवा दोनों ही अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की तिथि को स्वीकार्य, पूर्ण से अधिक नहीं ।
- (घ) **न्यूनतम राशि:**— 01/01/06 से किसी भी श्रेणी की पेंशन हेतु न्यूनतम राशि रुपये 3500 प्रति मास होगी, तथा अधिकतम राशि सरकार में उच्चतम वेतन की 50 प्रतिशत होगी। तथापि 01/01/06 से पूर्व सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु के सभी मामलों को के०सि० सेवा (पेंशन) नियम 1972 के लागू प्रावधानों के संदर्भ से ही निपटाया जायेगा।

पेंशनधारियों के लिए उपलब्ध बड़ी हुई पेंशन की प्रमात्रा निम्नानुसार होगी :

क्र.सं.	पेंशनधारी की आयु	पेंशन की अतिरिक्त प्रमात्रा
1	80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20 प्रतिशत
2	85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30 प्रतिशत
3	90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40 प्रतिशत
4	95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50 प्रतिशत
5	100 वर्ष अथवा अधिक	मूल पेंशन का 100 प्रतिशत

22.0 परिवार पेंशन

- यदि मृत्यु के समय सेवा-निवृत्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति, अशक्त, सेवा-निवृत्ति अथवा अधिवर्षिता पेंशन ले रहा था तो परिवार पेंशन, सेवा की अवधि के दौरान अथवा सेवा-निवृत्ति के बाद हुई मौत के मामले में ही स्वीकार्य होगी ।
- परिवार पेंशन, सभी मामलों में मूल वेतन के 30 प्रतिशत की समान दर पर परिकलित की जायेगी जो न्यूनतम रुपये 3,500 तथा अधिकतम विश्वविद्यालय कर्मियों के उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी ।
- परिवार पेंशन, उस विश्वविद्यालय कर्मियों के परिवार को देय होगी जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हो गयी थी। यह पेंशन विश्वविद्यालय कर्मियों की मृत्यु-तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा इसके लिए कोई आयु-सीमा नहीं होगी ।
- पुराने परिवार पेंशन प्राप्तकर्ताओं को परिवार पेंशन की प्रमात्रा निम्नानुसार बढ़ा दी जायेगी**

क्र.सं.	परिवार पेंशनधारी की आयु	पेंशन की अतिरिक्त प्रमात्रा
1	80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20 प्रतिशत
2	85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30 प्रतिशत
3	90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40 प्रतिशत
4	95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50 प्रतिशत
5	100 वर्ष अथवा अधिक	मूल पेंशन का 100 प्रतिशत

23.0 पेंशन का संराशीकरण

- विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पास विकल्प है कि वे अपनी पेंशन के एक भाग, जो 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, का एक मुश्त भुगतान के लिए संराशीकरण करा सकते हैं। यदि, सेवा-निवृत्ति के एक वर्ष के भीतर विकल्प सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है तो किसी भी प्रकार की चिकित्सीय परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। यदि एक वर्ष की समाप्ति के बाद विकल्प से संबंधित कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है तो उन्हें विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा करानी होगी।

एक मुश्त देय राशि का परिकलन संराशीकरण तालिका के संदर्भ से किया गया है। मासिक पेंशन से संराशीकृत भाग को कम कर दिया जायेगा और यह संराशीकृत भाग, पेंशन की संराशीकृत राशि का मूल्य प्राप्त करने की तिथि के 15 वर्ष की समाप्ति पर पुनः स्थापित हो जायेगा। तथापि, मंहगाई राहत का परिकलन मूल पेंशन (अर्थात् संराशीकृत भाग को कम किये बिना) के आधार पर किया जाना जारी रहेगा।

2. कोई भी संराशीकरण तब तक संस्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि विश्वविद्यालय के परामर्शी चिकित्सा अधिकारी इस आशय का प्रमाणन नहीं कर देते कि पेंशनधारी का स्वास्थ्य और उनकी जीवनावधि ऐसे हैं कि एक वर्ष के बाद कर्मी द्वारा की गयी संराशीकरण की कार्यवाही को औचित्यपूर्ण माना जा सकता है।
3. शर्त है कि यदि कोई कर्मी अधिवर्षता पर अपनी सेवा-निवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अपनी पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करता है तो उसकी चिकित्सा-जाँच नहीं की जायेगी।
आगे शर्त यह भी है कि पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन पत्र सेवा-निवृत्ति तिथि के बाद दिया जायेगा तथा संराशीकरण अबाध हो जायेगा अर्थात् सेवा निवृत्त कर्मचारी को वह संराशीकृत मूल्य उस तिथि से ही प्राप्त हो पायेगा जिस दिन आवेदन विश्वविद्यालय में स्वीकृत किया गया हो।
4. संराशीकरण की एक मुश्त देय राशि का परिकलन के० सि० सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम 1981 (आशोधित) में प्रावधानित तालिका के अनुसार ही किया जायेगा।
5. संराशीकरण, संस्वीकृत हो जाने के बाद उस तिथि से लागू होगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट होगा और ऐसी तिथि, मास की प्रथम तिथि होगी जो सामान्यतः आदेश तिथि से एक मास के बाद की होगी तथा सभी परिकलन विनिर्दिष्ट तिथि के संदर्भ में ही किये जाएंगे।

24.0 पेंशन भावी सदाचरण के अधीन

- (i) (क) इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन की मंजूरी और उसकी निरन्तरता के लिए भावी सदाचरण एक अन्तर्निहित शर्त होगी।
(ख) नियोक्ता अधिकारी एक लिखित आदेश द्वारा पेंशन अथवा उसके एक भाग को रोक सकते हैं अथवा उसे वापिस ले सकते हैं भले ही वह स्थायी रूप से हो अथवा किसी विशिष्ट अवधि के लिए हो। यह उस स्थिति में ही होगा जबकि पेंशनधारी किसी गंभीर अपराध के लिए सिद्ध दोष अथवा भारी कदाचार में दोषी पाये गये हैं।
शर्त है कि यदि पेंशन का कोई भाग रोक दिया गया है अथवा वापिस ले लिया गया है तो ऐसी पेंशन की राशि को, सरकार द्वारा बार-बार विनिर्दिष्ट अनुसार राशि से कम नहीं किया जायेगा।
- (ii) जब किसी पेंशनधारी को न्यायालय ने किसी गंभीर अपराध में सिद्ध दोष ठहरा दिया हो तो ऐसी सिद्ध दोषता के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के प्रकाश में उपनियम (1) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- (iii) उपनियम (2) के अन्तर्गत न आने वाले मामले में यदि उपनियम (1) में संदर्भित अधिकारी यह मानता है कि पेंशनधारी प्रथम दृष्टता ही गंभीर कदाचार के दोषी हैं तो उस उप-नियम(1) के अन्दर आदेश पारित करने से पूर्व
(क) पेंशनधारी को उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण देते हुए एक नोटिस देगा जिसमें उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही किये जाने का आधार या कारण भी दर्शाया गया हो और साथ ही उन्हें नोटिस प्राप्ति से पन्द्रह दिनों के भीतर अथवा अन्य अगली पन्द्रह दिनों से अधिक न बढ़ायी जा सकने वाली अवधि, जो नियोक्ता अधिकारी द्वारा यथा अनुमत होगी, में ऐसा अभ्यावेदन वह प्रस्तुत करना चाहे जो उपरोक्त प्रस्ताव के विरुद्ध हो तथा
(ख) खण्ड (क) के अन्तर्गत पेंशनधारी द्वारा प्रस्तुत किसी ऐसे अभ्यावेदन, यदि कोई हो, तो उस पर विचार करना। ऐसे मामले में निर्णयादेश पारित करने वाला सक्षम प्राधिकारी, प्रबन्धन मंडल है।
- (iv) प्रबन्धन मंडल द्वारा पारित ऐसे निर्णयादेश के विरुद्ध अपील कुलाधिपति को की जायेगी तथा इस मामले में कुलाधिपति का निर्णय अन्तिम होगा।

25.0 अन्य प्रकार के सभी पेंशन हितलाभ, यदि कोई है; के०सि०सेवा (पेंशन) नियम अथवा के०सि०सेवा (ईओपी) के प्रावधानितानुसार, मामले में गुणावगुण का ध्यान में रखते हुए प्रबन्धन मंडल की स्वीकृति से विचारित होंगे।

26.0 विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की अनुप्रयोज्यता/उपयोगिता

उपरोक्त में निहित किन्हीं- प्रावधानों के होते हुए भी, भारत सरकार की यथा-अधिसूचित और समय-समय पर संशोधित पुरानी पेंशन योजना, 01.01.2004 से पूर्व नियमित आधार पर नियुक्त/भर्ती हुए कर्मचारियों से संबंधित योजना पर अनुप्रयोज्य और लागू होगी, तथा भारत की यथा-अधिसूचित और समय-समय पर संशोधित नयी पेंशन योजना, 01.01.2004 को अथवा उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में अनुप्रयोज्य और लागू होगी।

27.0 सामान्य खंड

पेंशन, नयी पेंशन, उपदान (ग्रेच्यूटी), छुट्टी नकदीकरण और परिवार पेंशन आदि के भुगतान से संबंधित भारत सरकार अथवा रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्णय, व्याख्या, अनुदेश, स्पष्टीकरण अथवा प्रक्रियाएँ संदर्भानुसार इन नियमों के अन्तर्गत आवृत्त विश्वविद्यालय कर्मचारियों पर अनुप्रयोज्य एवं लागू होंगे।

28.0 सेवा की अवशिष्ट शर्तें एवं संदेह निवारण

- (i) कर्मचारियों की सेवा-शर्तों से सम्बन्धित कोई भी ऐसे मामले जिनके बारे में कोई भी विशिष्ट प्रावधान इन विनियमों में विद्यमान नहीं हैं, भारत सरकार के के०सि०सेवा पेंशन नियम 1972 तथा सामान्य भविष्य निधि (के०से०) नियम 1960 एवं समय-समय पर किये गये इनमें आशोधनों के अनुसार निर्णीत किये ही जायेंगे। इस योजना में दिए गए प्रावधानों पर विवाद होने की स्थिति में के.सि.सेवा (पेंशन) नियम एवं सा.भवि. निधि (के.से) नियम, 01/01/2004 से पूर्व नियमित आधार पर नियुक्त/भर्ती हुए कर्मचारियों से संबंधित योजना पर अभिभावी होंगे।
- (ii) कर्मचारियों की सेवा-शर्तों से सम्बन्धित कोई भी ऐसे मामले जिनके बारे में कोई भी विशिष्ट प्रावधान इन विनियमों में विद्यमान नहीं हैं, वे नई पेंशन योजना पर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अवधारित किये जायेंगे और वे 01/01/2004 को अथवा उससे बाद में नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होंगे। नई पेंशन योजना में दिये गये प्रावधानों पर विवाद होने की स्थिति में भारत सरकार के नियम एवं विनियम, अधिसूचनाएं, प्रक्रियाएं 01/01/2004 को अथवा उसके बाद नियमित आधार पर नियुक्त/भर्ती हुए कर्मचारियों से संबंधित योजना पर अभिभावी होंगे।

आदेशानुसार,

शैलेन्द्र सिंह परिहार, कुलसचिव

GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY

NOTIFICATION

Delhi, the 18th February, 2022

F. No. GGSIPU/Coord/Ord. 36/50th, 55th, 59th & 76th BOM/2021:75.—In pursuance of the provisions of Section 27 (1) (xi) of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act 1998 (Act 9 of 1998), the Board of Management of the Guru Gobind Singh Indraprastha University in its 50th, 55th, 59th & 76th meeting held on 27.09.2012, 24.09.2013, 07.11.2014 & 27.12.2021 vide resolutions to agenda item nos. 50.03, 55.13, 59.27 & 76.12 respectively approved the new Ordinance 36 captioned 'Pension-Cum-General Provident Fund Scheme'. Pursuant to the partial amendments to Statutes 31 and 32, providing for the pension-cum-general provident fund scheme, notified vide Gazette Notification No. F. No.IPU/JR(C)/2015/2-16/PERS.4767 dated 21st October 2021, the said Ordinance 36 captioned 'Pension-Cum-General Provident Fund Scheme' is notified as under:

1.0 SHORT TITLE & COMMENCEMENT

- 1.1 Guru Gobind Singh Indraprastha University (GGSIPU) Employees **Pension cum General Provident Fund scheme** has been formulated to provide benefit of Pension and Provident Fund to its employees, who were on regular employment on or before 31/12/2003 and did not attain the age of superannuation, in terms of Section 33 of Indraprastha Vishwavidyalaya Act 1998. They shall be required to exercise an option within stipulated period of three months of this Ordinance, to switch over to a Pension cum GPF scheme. If an employee does not exercise Option within three months, it will be presumed that he/she is not interested in pension scheme, and will continue to be governed by the CPF scheme, already in existence. On exercise of the option, the amount lying in his CPF account shall be divided as under:

- (I) Employer's contribution in their CPF account together with interest accrued there on shall be transferred to a Pension Fund for meeting his pension liability. In addition, GGSIPU may also make such further contributions, as necessary in terms of actuarial calculations to cover pension liability of its employees.
- (II) Employee's own contribution along with interest accrued there on to be transferred to a new GP Fund account.

1.2 The Board of Management (BOM) of GGSIPU may set up separate Trusts to manage investments from these Funds. The task of making investments from these Funds may also be entrusted to Fund Manager(s), to be appointed with approval of the Vice Chancellor, GGSIPU.

1.3 Save as otherwise provided in this ordinance, it shall come into force from the date of approval of Board of Management.

2.0 DEFINITIONS

Unless there is anything repugnant in the subject or context, the terms in these rules shall carry the meaning as under:

2.1 UNIVERSITY

University means the Guru Gobind Singh Indraprastha University (GGSIPU)

2.2 QUALIFYING SERVICE

Subject to the provision of these rules, qualifying service of a University employee shall commence from the date he takes charge of the post to which he is first appointed in substantive/ officiating/ temporary capacity. Provided, the officiating or temporary service is followed without interruption by a substantive appointment in the same or any another post.

2.3 EMOLUMENT

The expression Emolument implies basic pay as defined in Rule 9 (21)(a)(i) of the Fundamental Rules of Govt. of India which an employee would be receiving immediately before his retirement or on the date of his death. It includes Basic Pay along with Grade Pay for the purpose of pension, and Basic Pay plus Grade pay along with DA for the purpose of DCRG. In the case of Medical Officers, it also includes NPA in lieu of private practice. When there is reduction in the 'emoluments' during the last ten months of service, otherwise than as a penalty, gratuity may be based on 'average emoluments' for the last ten months instead of 'emoluments'.

2.4 AVERAGE EMOLUMENTS

Average emolument shall be determined with reference to the emoluments drawn by an employee during the last ten months of his service. Pension will be sanctioned on the average emoluments received during the last 10 months or last emoluments whichever is more beneficial to the retiree.

2.5 BOARD OF MANAGEMENT

Board of Management means BOM of Guru Gobind Singh Indraprastha University

2.6 COMPETENT AUTHORITY

- (a) BOM of the GGSIPU shall be competent authority to adopt Pension cum GPF Rules.
- (b) Registrar shall be the competent authority to sanction pension to the employees of GGSIPU, or during his absence any other officer notified by the Vice-Chancellor.
- (c) Any amendment to the Pension cum GPF scheme shall also be with approval of BOM

2.7 CONTROLLER OF FINANCE

Controller of Finance (COF) means the Controller of Finance of GGSIPU

2.8 PENSION & GP FUNDS

There shall be separate Funds for meeting pension liability of eligible employees of GGSIPU, and for better management of the employees GPF contributions. The interest on GPF accounts will be as applicable to government employees for GPF.

2.9 EMPLOYEE

The term Employee, wherever referred to in this Ordinance includes both teaching and non-teaching staff, who were appointed on regular basis prior to 01.01.2004 and had not attained the age of superannuation. It also includes employee taken on regular strength of GGSIPU before 01.01.2004, and were holding pensionable posts in their previous service, and have opted to be governed by the

provisions of this Ordinance. The Provisions as contained in Rule 14 of CCS (Pension) Rules and GOI order below the said Rule shall be followed.

2.10 FAMILY PENSION & DEATH GRATUITY

(I) The period for which family pension is payable shall be as follows (as defined in Rule 54(6) of the CCS (Pension) Rule 1972) :-

- (a) In case of widow or widower, up to the date of death or re-marriage, whichever is earlier;
- (b) In the case of son, until the age of twenty five years; and
- (c) In the case of unmarried daughter, until she attains the age of twenty five years or until she gets married, whichever is earlier:

(II) Family for the purposes of Gratuity means family of employees, as defined in Rule 50 of the CCS (Pension) Rules 1972. It includes,

- (a) wife or wives including judicially separated wife or wives in the case of a male University employee
- (b) husband, including judicially separated husband in the case of a female University employee
- (c) sons including stepsons and adopted sons
- (d) unmarried daughters including stepdaughters and adopted daughters
- (e) widowed daughters including step daughters and adopted daughters
- (f) father, mother – including adoptive parents in the case of individuals whose personal law permits adoption
- (g) brothers below the age of eighteen, including stepbrothers
- (h) unmarried sisters and widowed sisters including step sisters
- (i) unmarried daughters, and
- (j) Children of a predeceased son.

Provided that if the son or a daughter of an employee is suffering from any disorder or disability of mind (including mentally retarded) or is physically crippled or disabled, so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty five years, the family pension shall be payable to such son or daughter for life subject to certain conditions of eligibility.

2.11 REGISTRAR

Registrar means the Registrar of GGSIPU

2.12 TEMPORARY SERVICE

The word temporary service used in these rules shall mean the period spent on probation after regular appointment against a sanctioned post.

2.13 VICE CHANCELLOR

Vice Chancellor means the Vice-Chancellor of GGSIPU

3.0 COUNTING OF PAST SERVICE

3.1 The benefit for counting of past service will be applicable in the cases who were earlier working in the pensionable establishment of Central Government/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies. Provided, transfer / deposition of all the pensionary benefits along with interest accrued thereon and have been absorbed/ selected in this University with the prior consents/through proper channel of parent employer. The counting of Past Service will be finalize only with the approval of Competent Authority i.e. Board of Management.

- 3.2 Provided pension liability of previous services will be borne by the erstwhile employer, as a onetime payment calculated with reference to commutation table given at Appendix-I of CCS (Pension) Rules 1972 read with CCS (commutation of pension) Rules 1981 and modifications therein. However, if the previous employer is unwilling or unable to discharge its pension liability, then the same can be borne by the employee without any obligation to GGSIPU including submission of all documentary evidence service record from his previous employer.
- 3.3 If an employee wishes to avail the benefit of past service, he will be required to exercise option within 3 months from the date of notification of this ordinance. However, if an employee is on leave/study leave/ deputation/foreign service/under suspension, he may be permitted to exercise his option within three months after resuming duty.
- 4.0 The option in terms of Rule 3 above is not applicable to employees, who were appointed by the University on a consolidated salary or on special terms.
- 5.0 The employees who have since retired or died prior to the notification of this scheme, they or their eligible spouse whatever the case may be, shall have the right to either opt:
- (a) to continue to be governed by the C.P.F. Scheme, or
 - (b) to elect to be governed by the Pension Scheme contained in these Rules
 - (c) option once exercised shall be final and employees will not be allowed to change the option again. In case of employees or spouse of the deceased employee who give option as given in clause (b) of Rule 5 will have to deposit the total University Contribution of C.P.F. plus interest received by them on their retirement along with interest thereon from the month they received the final payment to the date of deposit in case they have received the retirement benefits under the C.P.F. scheme. In the cases in which retirement benefits under the C.P.F. scheme have not been received by the employees/eligible spouse, their total university share along with interest accrued thereon shall be transferred in the Pension Fund. The interest to be charged will be the same as allowed to employees on their P.F. accumulations.
- 5.1 If a retired employee or spouse of deceased employee fails to exercise option within the stipulated period of three months, the employee shall be deemed to have elected to be governed by the existing C.P.F scheme. No further request for relaxation of the time limit shall be entertained.

6.0 GRATUITY

- 6.1 If an employee retires after completing five or more years of qualifying service, he is eligible to receive retirement gratuity equal to one-fourth of his emoluments for each completed six monthly period of qualifying service, subject to a maximum of 16-1/2 times of emoluments.
- 6.2 If an employee dies while in service, the death gratuity shall be paid to his family in the following manner:
- (i) Less than 1 year 2 times of emoluments
 - (ii) One year or more but less than 5 year 6 times of emoluments
 - (iii) 5 year or more but less than 20 years 12 times of emoluments
 - (iv) 20 years or more Half of emoluments for every completed six month period of qualifying service, subject to a maximum of 33 times of emoluments

Provided that the amount of retirement gratuity or death gratuity payable under this rule shall in no case exceed Rs. 3.5 lakhs (increased to Rs.10 Lakhs w.e.f. 01.01.06).

7.0 CONSTITUTION AND MANAGEMENT OF FUNDS

- 7.1 The management of the Pension and G.P.Fund(s) shall vest in the Board of Management (BOM), who may set up separate Trust(s) to manage pension liability of GGSIPU, and for more efficient management of investments from the GP Fund.
- 7.2 The Trust(s) may appoint Fund Manager(s) to manage the Pension Fund, and a separate Fund Manager for more efficient management of investments from the GP Fund.
- 7.3 The University may invest such part of the fund, as may be considered expedient, in the Government securities/ certificates, negotiable Government guaranteed bonds, and in such deposit schemes of the Central Government as may be notified in this regard from time to time, the interest or profit realized thereon would be credited to the respective Funds. All investments and securities shall be held in the name of Trust(s) to be set up for this purpose.

8.0 NOMINATIONS FOR GPF

- 8.1 Every employee of the GGSIPU entitled to subscribe to the Provident Fund, shall at the time of joining the Fund, be required to sign a declaration in the prescribed form that he has read the ordinance and agrees to abide by it, and shall submit for registration in the University Office a nomination containing the names of one or more persons to whom he/she wishes the amount that may stand to his/her credit in the Fund to be paid in the event of his/her death, before that amount has become payable or having become payable has not been paid:

Provided that, if, at the time of making the nomination the subscriber has a family, the nomination shall not be in favour of any person or persons other than members of his family.

Provided further that the nomination made by the subscriber in respect of any other provident fund to which he was subscribing before joining the Fund shall, if the amount to his credit in such other fund has been transferred to his credit in this Fund, be deemed to be a nomination duly made under this rule until he makes a nomination in accordance with this rule.

- 8.2 If a subscriber nominates more than one person under sub-rule (1), he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time.
- 8.3 Every nomination shall be made in the Form set forth in these rules.
- 8.4 A subscriber may, at any time, cancel a nomination by sending a notice in writing to the Registrar. The subscriber shall, along with such notice or separately, send a fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.
- 8.5 A subscriber may provide in a nomination-
 - (a) In respect of any specified nominee, that in the event of his pre-deceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination, provided that such other person or persons shall, if the subscriber has other members of his family, be such other member or members. Where the subscriber confers such a right on more than one person under this clause, he shall specify the amount or share payable to each such persons in such a manner, as to cover the whole of the amount payable to the nominee.
 - (b) That the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein.

Provided that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of the family, he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under clause (a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

- (i) Every nomination made, and every notice of cancellation given by a subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Registrar.

Note: In this rule, unless the context otherwise requires “person” or “persons” shall include a company or association or body of individuals, whether incorporated or not. It

shall also include a Fund such as the Prime Minister's National Relief Fund or any charitable or other Trust or Fund, to which nomination may be made through the Secretary or other executive of the said funds or Trust authorized to receive payments.

- (ii) An up to date register of all such nominees shall be maintained in the University Office.

9.0 SUBSCRIBER'S GPF ACCOUNT

An account shall be opened in the name of each subscriber, wherein his own contributions to the Fund together with interest accrued thereon along with Advances/ Withdrawals from the Fund will be recorded.

10.0 CONDITIONS AND RATES OF GPF SUBSCRIPTIONS

(A) CONDITIONS OF SUBSCRIPTION:

- (i) Every subscriber shall subscribe monthly to the Fund when on duty or Foreign Service but not during a period of suspension;
- Provided that a subscriber on re-instatement after a period passed under suspension shall be allowed the option of paying in one lump sum, or in installments, any sum not exceeding the maximum amount of arrears of subscriptions payable for that period.
- (ii) A subscriber may, at his option, not subscribe during leave which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half-pay or half average pay.
- (iii) The subscriber shall intimate his election not to subscribe during the leave referred to in sub-rule (ii) by written communication to the Registrar before he proceeds on leave. Failure to make due and timely intimation shall be deemed to constitute an election to subscribe. The option of a subscriber intimated under this sub-rule shall be final.
- (iv) A subscriber who has withdrawn the amount as given in Rule 12, standing to his credit in the Fund shall not subscribe to the Fund after such withdrawal unless he returns to duty.
- (v) Notwithstanding anything contained in sub-rule (i) a subscriber shall not subscribe to the Fund for the month in which he quits service unless, before the commencement of the said month, he communicates to the Registrar in writing his option to subscribe for the said month.

(B) RATES OF SUBSCRIPTION:

The amount of subscription shall be decided by the subscriber, subject to the following conditions,

- (i) The rate of subscription may not be less than 6% of his emoluments and not more than his total emoluments, the amount so calculated being rounded off to the nearest rupee, provided that in the case of subscriptions at the minimum or maximum rates, the rounding off will be to the next higher or the next lower rupee respectively.
- (ii) Reduced once at any time during the course of the year.
- (iii) Enhanced twice during the course of the year; or

(C) INTEREST:

- (i) The University shall credit interest to the account of each subscriber, as admissible to government employees.
- (ii) Interest shall be credited with effect from last day in each year in the following manner:
- (a) On the amount at the credit of a subscriber on the 31st March of the preceding year, less any sum(s) withdrawn during the current year – interest for twelve months.
- (b) On sums withdrawn during the current year – interest from the 1st April of the current year upto the last day of the months of withdrawal;

- (c) On all the sums credited to the subscriber's account after the 31st March of the preceding year – interest from the date of deposit upto the 31st March of the current year.
- (d) The total amount of interest shall be rounded to the nearest whole rupee (Fifty paisa counting as the next higher rupee).

Provided that when the amount standing at the credit of a subscriber has become payable, interest shall thereupon be credited under this rule in respect only of the period from the beginning of the current year or from the date of deposit, as the case may be upto the date on which the amount standing to the credit of a subscriber becomes payable.

- (iii) For the purpose of this paragraph, the date of credit shall be deemed to be the first day of the month in which it is credited.
- (iv) In all cases interest shall be paid in respect of balance at the credit of a subscriber upto the close of the month preceding that in which payment is made or upto the end of the sixth month after the month in which such amount, became payable, whichever of these periods is less, provided that no interest shall be paid in respect of any period after the date on which the Registrar has intimated to the subscriber or his agent as the date on which he is prepared to make payments.

(D) ADVANCES FROM THE FUND

- (1) The sanctioning authority may sanction the payment to any subscriber of a temporary advance not exceeding in amount three month's pay (Basic Pay + Grade Pay) or half the amount of subscription and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund, whichever is less, for one or more of the following purposes:-
 - (a) to pay expenses in connection with the illness, confinement or a disability, including where necessary, the traveling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him.
 - (b) to meet the cost of higher education, including where necessary, the traveling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him in the following cases, namely:-
 - (i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and
 - (ii) for any medical, engineering or other technical or specialized course in India beyond the High School stage, provided that the course of study is for not less than three years;
 - (c) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscriber's status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies;
 - (d) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent upon him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other source.
 - (e) to meet the cost of the subscriber's defence where he engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part;
 - (f) to purchase consumer durables such as TV, VCR/VCP, Washing Machines, Cooking Range, Geysers and Computers.
 - (g) to meet the expenses for visiting places which, to the satisfaction of the sanctioning authority, are considered as places of pilgrimage or places of eminence of any religion.

(1-A) The Vice-Chancellor may, in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of an advance if he is satisfied that the subscriber concerned requires the advance for reasons other than those mentioned in sub-rule (1).

- (2) An advance shall not, except for special reasons to be recorded in writing, be granted to any subscriber in excess of the limit laid down in sub-rule (1) or until repayment of the last installment of any previous advance;

Provided that an advance shall in no case exceed the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund.

- (3) When an advance is sanctioned under sub-rule (2) before repayment of last installment of any previous advance is completed the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the installments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount.

(E) Authority to sanction advances

- (1) A temporary advance from the Fund to the subscriber under sub-rule (1) & (2) of Rule D shall be sanctioned by the Registrar of the University.
- (2) An advance from the Fund to the subscriber under sub-rule (1-A) of Rule 10 shall be sanctioned by the Vice-Chancellor.

(F) Recovery of advances

- (1) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly installments as the sanctioning authority may direct; but such number shall not be less than twelve unless the subscriber so elects and more than twenty-four. In special cases where the amount of advance exceeds three month's pay of the subscriber under sub-rule (2) of Rule 10, the sanctioning authority may fix such number of installments to be more than twenty-four but in no case more than thirty six.

A subscriber, may, at his option, make repayment in smaller number of installments than prescribed. Each installment shall be a number of whole rupees, the amount of advance being raised or reduced, if necessary, to admit of the fixation of such installments.

- (2) Recovery shall be made in the manner prescribed in Rule 9 for the realization of subscriptions, and shall commence with the issue of pay for the month following the one in which the advance was drawn. Recovery shall not be made, except with the subscriber's consent, while he is in receipt of subsistence grant or is on leave for ten days or more in a calendar month which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay, as the case may be. The recovery may be postponed, on the subscriber's written request, by the sanctioning authority during the recovery of an advance of pay granted to the subscriber.
- (3) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before repayment is completed, the whole or balance of the amount withdrawn shall forthwith be repaid by the subscriber to the Fund, or in default be ordered to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber in lumpsum or in monthly installments not exceeding twelve as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub-rule (2) of Rule 10.

Provided that, before such advance is disallowed, the subscriber shall be given an opportunity to explain to the sanctioning authority in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced and if an explanation is submitted by the subscriber within the period of fifteen days, it shall be referred to the Vice-Chancellor for decision, and if no explanation within the said period is submitted by him, the repayment of the advance shall be enforced in the manner prescribed in this sub-rule.

- (4) Recoveries made under this rule shall be credited as they are made to the subscriber's account in the Fund.

11.0 WRONGFUL USE OF ADVANCE

Notwithstanding anything contained in these rules, if the sanctioning authority has reason to doubt that money drawn as an advance from the Fund under Rule 10 has been utilized for purpose other than that for which sanction was given to the drawal of money, he shall communicate to the subscriber the reasons for the same and require him to explain in writing and within fifteen days of the receipt of such communication whether the advance has been utilized for the purpose for which it was sanctioned. If the sanctioning authority is not satisfied with the explanation furnished by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall direct the subscriber to repay the amount in question to the Fund forthwith or, in default, order the amount to be recovered by deduction in one lumpsum from the emoluments of the subscriber even if he be on leave. If, however, the total amount to be repaid be more than half the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monthly installments of moieties of his emoluments till the entire amount is repaid by him.

Note: The term 'emoluments' in the rule does not include subsistence grant.

12.0 Withdrawal from the Fund

- (1) Subject to the conditions specified therein, withdrawals may be sanctioned by the Registrar, at any time.
- (A) After the completion of fifteen years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount of subscription and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund, for one or more of the following purposes, namely:-
- (a) Meeting the cost of higher education, including where necessary, the traveling expenses of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases, namely:-
 - (i) for education outside India for academic, technical, professional, or vocational course beyond the High School stage; and
 - (ii) for any medical, engineering or other technical or specialized course in India beyond the High School stage;
 - (b) Meeting the expenditure in connection with the betrothal/ marriage of the subscriber or his sons or his daughters, and any other female relation actually dependent upon him;
 - (c) Meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the traveling expenses, of the subscriber and members of his family or any person actually dependent upon him;
 - (d) Meeting the cost of Consumer durables such as TV, VCR/ VCP, Washing Machines, Cooking Range, Geysers and Computers.
- (B) During the service of a subscriber from the amount of subscription and interest thereon standing to his credit in the Fund for one or more of the following purposes, namely :-
- (a) Building or acquiring a suitable house or ready built flat for his residence including the cost of the site or any payment towards allotment of a plot or flat by the Delhi Development Authority, State Housing Board or a House Building Cooperative Society;
 - (b) Repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready built flat for his residence;
 - (c) Reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber;

- (d) Renovating, additions or alterations or upkeep of an ancestral house at a place other than the place of duty or to a house built with the assistance of loan from University or Government at a place other than the place of duty;
- (e) Constructing a house on a site purchased under clause (a);
- (C) Within twelve months before the date of subscriber's retirement on superannuation from the amount of subscription and interest thereon standing to his credit in the Fund, without linking to any purpose;
- (D) Once during the course of a financial year, an amount equivalent to one year's subscription paid for by the subscriber towards the Group Insurance Scheme for the University employees on self-financing and contributory basis.

Note 1:- A subscriber who has availed himself of an advance from the University or has been allowed any assistance in this regard from any Government source, shall be eligible for the grant of final withdrawal under sub-clauses (a), (c) and (e) of Clause (B) for the purposes specified therein and also for the purpose of repayment of any loan taken from sources indicated above subject to the limit specified in the proviso to sub-rule (1) of Rule 12.

If a subscriber has an ancestral house or built a house at a place other than the place of his duty with the assistance of loan taken from the University he shall be eligible for the grant of a final withdrawal under sub-clauses (a), (c) and (e) of Clause B for purchase of a house-site or for construction of another house or for acquiring a ready built flat at the place of his duty.

Note 2:- Withdrawal under sub-clauses (a), (c), (d) or (e) of clause (B) shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the additions or alterations to be made, duly approved by the local municipal body of the area where the site or house is situated and only in cases where the plan is actually got to be approved.

Note 3:- The amount of withdrawal sanctioned under sub-clause (b) of Clause (B) shall not exceed $\frac{3}{4}$ th of the balance on date of application together with the amount of previous withdrawal under sub-clause (a), reduced by the amount of previous withdrawal. The formula to be followed is $\frac{3}{4}$ th of the balance as on date plus amount of previous withdrawal(s) for the house in question minus the amount of the previous withdrawal(s).

Note 4:- Withdrawal under sub-clause (a) or (c) of Clause (B) shall also be allowed where the house-site or house is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

Note 5:- Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this rule. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to a house or flat covered by a fresh plan duly approved by the local municipal body of the area where the house or flat is situated shall not be treated as the same purpose. Second or subsequent withdrawal under sub-clause (a) or (e) of Clause (B) for completion of the same house shall be allowed upto the limit laid down under Note 3.

Note 6:- A withdrawal under this rule shall not be sanctioned if an advance under Rule D is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

13.0 CONDITIONS FOR WITHDRAWAL

- (1) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in Rule 16 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one-half of the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund or six month's pay, whichever is less. The Registrar may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit upto $\frac{3}{4}$ th in the case of withdrawal under sub-

clause (A) and 90% in the case of withdrawal under sub-clause (B) of clause (1) of Rule 12 of the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund having due regard to (i) the object for which the withdrawal is being made, (ii) the status of the subscriber, and (iii) the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund. Provided that in the case of a subscriber who has availed himself of an advance or has been allowed any assistance in this regard from any other Government source, the sum withdrawn under this sub-rule together with the amount of advance or assistance taken from any other Government source shall not exceed the maximum limit prescribed from time to time by the Government under the scheme for the grant of advances for house-building purposes. Provided further that the withdrawal admissible under Rule 12(1)(C) shall not exceed 90% of the amount of subscription and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund.

- (2) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund under Rule 16 shall satisfy the Registrar within a reasonable period as may be specified by him that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn shall forthwith be repaid in one lumpsum by the subscriber to the Fund and in default of such payment, it shall be ordered by the Registrar to be recovered from his emoluments either in a lumpsum or in such number of monthly installments, as may be determined by the Registrar.

Provided that, before repayment of a withdrawal is enforced under this sub-rule, the subscriber shall be given an opportunity to explain in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced; and if the Registrar is not satisfied with the explanation or no explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, the Registrar shall enforce the payment in the manner prescribed in this sub-rule.

- (3) (a) A subscriber who has been permitted under sub-clause (a) or sub-clause (b) of Clause (B) of sub-rule (1) of Rule 12 to withdraw money from the amount of subscription together with interest thereon standing to his credit in the Fund, shall not part with the possession of the house built or acquired or house-site purchased with the money so withdrawn, whether by way of sale, mortgage, gift, exchange or otherwise, without the previous permission of the Registrar.

Provided that such permission shall not be necessary for-

- (i) the house or house-site being leased for any term not exceeding three years, or
 - (ii) its being mortgaged in favour of a Housing Board, Nationalized Banks, the Life Insurance Corporation or any other Corporation owned or controlled by Government which advances loans for the construction of a new house or for making additions or alterations to an existing house.
- (b) The subscriber shall submit a declaration not later than the 31st day of December every year as to whether the house or the house-site, as the case may be, continues to be in his possession or has been mortgaged, otherwise transferred or let out as aforesaid and shall, if so required, produce before the Registrar on or before the date specified by him in that behalf, the original sale, mortgage or lease deed and also the documents on which his title to the property is based.
- (c) If, at any time before his retirement, the subscriber parts with the possession of the house or house-site without obtaining the previous permission of the Registrar, he shall forthwith repay the sum so withdrawn by him in a lumpsum to the Fund, and in default of such repayment, the Registrar shall, after giving the subscriber a reasonable opportunity of making a representation in the matter, cause the said sum to be recovered from the emoluments of the subscriber either in a lumpsum or in such number of monthly installments, as may be determined by him.

Note: A subscriber who has taken loan from Government and in lieu thereof mortgaged the house or house-site to the Government shall be required to furnish the declaration to the following effect, namely :-

“I do hereby certify that the house or house-site for the construction of which or for the acquisition of which I have taken a final withdrawal from the Provident Fund continues to be in my possession but stands mortgaged to Government.”

14.0 CONVERSION OF AN ADVANCE INTO A WITHDRAWAL

A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under Rule 12 for any of the purposes specified in sub-rule (1) of Rule 16 may convert, at his discretion by written request addressed to the Registrar, the balance outstanding against it into a final withdrawal on his satisfying the conditions laid down in Rules 10 and 12.;

15.0 FINAL WITHDRAWAL OF ACCUMULATIONS IN THE GPF FUND

When a subscriber quits the service of (i.e. granted refused leave) the University, the amount standing at his credit in the Fund shall become payable to him.

Provided, that a subscriber who has been dismissed from the service of the University and is subsequently re-instated in the service shall, if required to do so, repay any amount paid to him from the Fund in pursuance of this rule, with interest at the rate provided in Rule 10 (A) & (B) in these rules. The amount so repaid shall be credited to his account in the Fund.

16.0 RETIREMENT OF GPF SUBSCRIBER

When a subscriber –

- (i) Has proceeded on leave preparatory to retirement or if he is employed in a vacation department, on leave preparatory to retirement combined with vacation,
or
- (ii) While, on leave, has been permitted to retire or been declared by the Consulting Medical Officer by the competent medical authority that may be prescribed by the Board of Management in this behalf to be unfit for further service, the amount standing to his credit in the fund shall become payable to the subscriber.

Provided that the subscriber, if he returns to duty, shall, except where the University decided otherwise, repay to the fund for credit to his account, the amount paid to him from the fund in pursuance of this rule with interest thereon at the rate provided by installments or otherwise by recovery from his emoluments or otherwise as the Board of Management may direct.

17.0 PROCEDURE ON THE DEATH OF A GPF SUBSCRIBER

On the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable, or where the amount has become payable, before payment has been made;

(I) When the subscriber leaves a family –

- (a) If a nomination made by the subscriber in accordance with the sub-paragraph (i) of Paragraph (12) or of the corresponding provision heretofore in force in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.
- (b) If no such nomination in favour of a member or members of the family of the subscriber subsist, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family, become payable to the members of his family in equal shares:

Provided that no share shall be payable to –

- (i) Sons who have attained maturity.
- (ii) Sons of a deceased son who have attained maturity.
- (iii) Married Daughters whose husbands are alive.
- (iv) Married daughters of a deceased son whose husbands are alive.

If there is any members of the family other than those specified in clauses (i), (ii), (iii) and (iv):

Provided further that the widow or widows and the child or children of a deceased person shall receive between them in equal parts only the share which sum would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (a) of the first proviso.

- (II) When the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the sub-paragraph (i) of paragraph 12 or of the corresponding provision heretofore in force in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

18.0 DEPOSIT LINKED INSURANCE

On the death of a subscriber, the person entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber shall be paid by the University, an additional amount equal to the average balance in account during the last three years immediately preceding the death of such subscriber, subject to the condition that –

- (a) The balance at the credit of such subscriber shall not at any time during the three years preceding the month of death have fallen below the limits of :-
- (i) Rs. 25000 in case of a subscriber holding a post in the PB-2 (Rs. 9300-34800) or above and drawing GP of Rs.4800 and above
 - (ii) Rs. 15000 in case of a subscriber holding a post in the PB-2 (Rs. 9300-34800) and drawing GP of Rs.4200 and above but less than Rs.4800
 - (iii) Rs. 10000 in case of a subscriber holding a post in the PB-2, PB-1 or PB-IS (Rs. 4440-7440) and drawing GP of Rs.1400 and above but less than Rs. 4200
 - (iv) Rs. 6000 in case of a subscriber holding a post in the PB-IS (Rs. 4440-7440) and drawing GP of Rs.1300 and above but less than Rs. 1400
- (b) the additional amount payable under this rule shall not exceed Rs. 60000
- (c) the subscriber has put in at least 5 years service at the time of his/her death.

19.0 STATEMENT OF GPF ACCOUNTS

- (i) As soon as possible after the 31st of March of each year, the Finance Officer shall send to each subscriber a statement of his account in the Fund, showing the opening balance on the 1st of April of the year, the total amount credited and debited during the year, the total amount of interest credited as on the 31st March of the year and the closing balance on that date. The Finance Officer shall attach to the statement of account an enquiry whether the subscriber –
- (a) Desires to make any alternation in any nomination made by the subscriber
 - (b) Has acquired a family (in cases where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his family under the rules).
- (ii) Subscribers should satisfy themselves as to the correctness of the annual statement, and errors should be brought to the notice of the Finance Officer within three months from the date of receipt of the statement.
- (iii) The Controller of Finance shall if required by a subscriber once, but not more than once in a year, inform the subscriber of the total amount standing to his credit in the Fund at the end of the last month for which his account has been written up.

20.0 INVESTMENT OF FUNDS

All sums paid into the Fund shall be credited in the books of the University to separate accounts named "Pension Fund and GPF of the Guru Gobind Singh Indraprastha University". A deposit account shall be opened in a Nationalized University authorized Bank to be operated in such manner as the Board of Management may direct. The University may invest such part of the Fund, as may be considered expedient, in the Government securities/ certificates, negotiable Government

guaranteed bonds, and in such deposit schemes of the Central Govt. as may be notified in this regard from time-to-time,

Interest or profit realized on such investments being credited to the respective accounts. Board of Trustees shall periodically review and access the financial liabilities and if there is any short fall in the respective Fund, the same shall be borne by the university as principal employer.

21.0 CLASSES OF PENSION

Pension is admissible to permanent employees, who retire or are retired with a qualifying service of not less than 10 years. Temporary employees who retire on superannuation or invalidation after rendering not less than 10 years qualifying service or retire voluntarily after 20 years qualifying continuous service are also eligible for pension. The linkage of full pension with 33 years of qualifying service has been dispensed with. Once a Government servant has rendered the minimum qualifying service of 20 years, pension shall be paid at 50% of the emoluments or average emoluments received during the last 10 months whichever is beneficial to him. In case of the University employee becomes entitled to pension on completion of 10 years of qualifying service in accordance with the rule 49(2) of the CCS (Pension) Rules 1977, pension in those cases shall be paid at 50% of the emoluments or average emoluments whichever is beneficial to the Government servant.

- Superannuation pension** on retirement after superannuation as per Rule 35 of the CCS (Pension) Rule 1972
- Retiring pension** on voluntarily or premature retirement before superannuation as per Rule 36 of the CCS (Pension) Rule 1972
- Compulsory retirement pension** on compulsory retirement as a measure of penalty. Such pension or gratuity or both will not be less than two thirds nor more than full compensation pension or gratuity or both admissible on the date of compulsory retirement as per Rule 40 of the CCS (Pension) Rule 1972
- Minimum amount** of any class of pension will be Rs.3500 p.m. and maximum will be 50% of the highest pay in the government with effect from 01.01.2006. However all cases of retirement or death prior to 01.01.2006 shall be dealt with reference to the applicable provisions of CCS (Pension) Rules 1972

The quantum of enhanced pension available to the pensioners will be as follows:

S. No.	Age of Pensioner	Additional quantum of Pension
1.	From 80 years to less than 85 years	20% of basic pension
2.	From 85 years to less than 90 years	30% of basic pension
3.	From 90 years to less than 95 years	40% of basic pension
4.	From 95 years to less than 100 years	50% of basic pension
5.	100 years or more	100% of basic pension

22.0 FAMILY PENSION

- A family pension shall be admissible in case of death while in service or after retirement, if at the time of death, the retired employee was in receipt of a compensation, invalid, retiring or superannuation pension.
- Family pension shall be calculated at a uniform rate of 30% of basic pay in all cases and shall be subject to a minimum of Rs. 3500/- p.m. and maximum of 30% of the highest pay to University employee.
- The family pension shall be payable to the family of a University employee who dies in service from the date of death of the University employee for a period of ten years, without any upper age-limit.
- The quantum of family pension available to the old family pensioners shall be increased as follows:

S. No.	Age of family Pensioner	Additional quantum of family Pension
1.	From 80 years to less than 85 years	20% of basic family pension
2.	From 85 years to less than 90 years	30% of basic family pension
3.	From 90 years to less than 95 years	40% of basic family pension
4.	From 95 years to less than 100 years	50% of basic family pension
5.	100 years or more	100% of basic family pension

23.0 COMMUTATION OF PENSION

1. An employee of the University has an option to commute a portion of pension, not exceeding 40% of it, into a lump sum payment. No medical examination is required if the option is exercised within one year of retirement. If the option is exercised after expiry of one year, he/she will have to undergo medical examination by the specified competent authority.

Lump sum payable is calculated with reference to the Commutation Table. The monthly pension will stand reduced by the portion commuted and the commuted portion will be restored on the expiry of 15 years from the date of receipt of the commuted value of pension. Dearness Relief, however, will continue to be calculated on the basis of the original pension (i.e. without reduction of commuted portion).

2. No commutation shall be sanctioned unless the Consulting Medical Officer of the University certifies that the pensioner's health and prospects of duration of life are such as to justify commutation for employee opting after one year.
3. Provided that an employee who applies for commutation of pension within one year of the date of his retirement on superannuation shall not be subjected to medical examination.

Provided further that an application for commutation of pension shall be made after the date of retirement and the commutation shall become absolute that is the retired employee shall become entitled to receive the commuted value on the date on which his application is received in the University.

4. The lump sum payable on commutation shall be calculated in accordance with the table as provided in CCS (Commutation of Pension) Rules 1981 (modified).
5. Commutation when sanctioned shall take effect on the date to be specified in the order and any such date shall be the first of a month and ordinarily about one month later than the date of the order and all calculations shall be made and with reference to the date specified.

24.0 PENSION SUBJECT TO FUTURE GOOD CONDUCT

- (i) (a) Future good conduct shall be an implied condition of every grant of pension and its continuance under these rules.
- (b) The appointing authority may by order in writing, withhold or withdraw a pension or a party thereof, whether permanently or for a specified period, if the pensioner is convicted of a serious crime or is found guilty of grave misconduct.

Provided that where a part of pension is withheld or withdrawn the amount of such pension shall not be reduced below the amount as specified by the Government from time to time.

- (ii) Where a pensioner is convicted of a serious crime by a Court of Law, action under sub-rule (i) shall be taken in the light of the judgment of the Court relating to such conviction.
- (iii) In a case not falling under sub-rule (2) if the authority referred to in sub-rule (1) considers that the pensioner is prima facie guilty of grave misconduct, it shall before passing an order under sub-rule (1) –

- (a) Serve upon the pensioner a notice specifying the action proposed to be taken against him and the ground on which it is proposed to be taken and calling upon him to submit within fifteen days of the receipt of the notice or such further time not exceeding fifteen days as may be allowed by the appointing authority such representation as he may wish to make against the proposal and
- (b) Take into consideration the representation, if any, submitted by the pensioner under- Clause (a). The Competent Authority to pass an order is Board of Management.
- (iv) An appeal against such an order passed by the Board of Management shall lie to the Chancellor and the decision of the Chancellor in this case will be final.

25.0 All other kind of pension and pensionary benefit if any as provided in CCS (Pension) Rules or CCS (EOP) shall be considered on the merits of the case with approval of BOM.

26.0 APPLICABILITY OF THE PENSION SCHEME TO THE UNIVERSITY EMPLOYEES

Notwithstanding any provisions contained herein above, the Old Pension Scheme of the Govt. of India as notified and amended from time-to-time, shall be applicable and implemented for the employees appointed on regular basis prior to 01/01/2004; and, the New Pension Scheme of the Govt. of India as notified and amended from time-to-time, shall be applicable and implemented in respect of the employees appointed on or after 01/01/2004.

27.0 GENERAL CLAUSE

The decisions, explanations, instructions, clarifications or procedure etc; issued by the Government of India or Government of NCT of Delhi from time-to-time relating to payment of Pension, New Pension, Gratuity, Leave Encashment, Family Pension, etc; shall be applicable to the University employees covered under these rules as per context.

28.0 RESIDUARY CONDITIONS OF SERVICE & REMOVAL OF DOUBTS

- (i) Any matter relating to the conditions of service of employees for which no specific provision exists in this Ordinance, shall be determined by the CCS Pension Rule 1972 and GPF (CS) Rule 1960 of GOI and its modifications from time-to-time, shall prevail. **In case of conflict of the provisions as laid down in the scheme, CCS (Pension) Rules & GPF (CS) Rules shall prevail over the scheme in respect of employees, who were appointed on regular basis prior to 01/01/2004.**
- (ii) Any matter relating to the conditions of service of employees for which no specific provision exists in this Ordinance, shall be determined by the Notification of the Govt. of India on the New Pension Scheme, as issued from time-to-time and shall be applicable to the employees appointed on or after 01/01/2004. **In case of conflict of the provisions as laid down in the New Pension Scheme, Notifications, Procedures, Rules and Regulations of the Government of India, shall prevail over the scheme in respect of employees who were appointed on regular basis on or after 01/01/2004.**

By Order,

SHAIENDRA SINGH PARIHAR, Registrar